प्रकृतिः रक्षति रक्षिता

Nature Protects if She is Protected

LiFE
Lifestyle for Environment

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2021—22

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

राष्ट्रीय कैम्पा

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोजगार
भारत सरकार

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

संदेश

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वनों के अपवर्तन के बदले वैकल्पिक वनों के सृजन के माध्यम से विकास और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुझे यह जानकर खुशी है कि प्रतिकरात्मक वनरोपण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-2022 के दौरान राष्ट्रीय काम्पा निधि ने विभिन्न पर्यावरणीय स्वीकृतियों के डिजिटाइजेशन के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए परिवेश 2.0 के उन्नत संस्करण के विकास जैसी प्रमुख पहलों में सहायता की है। इसने भारत में बाघ, सह-परभक्षियों, शिकार बनने वाले पशुओं की संख्या और उनके पर्यावासों संबंधी स्थिति का मूल्यांकन करने में भी सहायता की है। इसके अलावा, राष्ट्रीय काम्पा निधि ने हमारे शहरों में हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास में देश भर में 1000 नगर वनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काम्पा ने वन और वन्यजीव संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना करने में भी अपना महत्व सिद्ध किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में केंद्रीय और राज्य सरकारों के निरंतर समन्वित प्रयासों से, हम निश्चित रूप से वन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सफल होंगे।

दिनांक : 08.03.2024

(भूपेन्द्र यादव)

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110003, फोन : 011-20819190, 011-20819225, फैक्स: 011-20819299
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819190, 011-20819225, Fax : 011-20819299
ईमेल / E-mail : mefcc@gov.in

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

सत्यमेव जयते

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

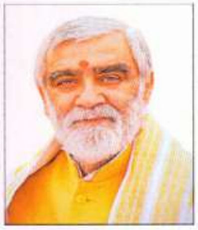

संदेश

वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्यों जैसे विभिन्न विकास कार्यों के लिए जब भी वन भूमि हस्तानांतरित की जाती है, तो प्रयोक्ता संस्था द्वारा वन एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं की भरपाई के लिए आवश्यक प्रतिपूरक निधि प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपूरक निधि से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण, वन संरक्षण, वनों की स्थिति तथा जैव विविधता में गुणात्मक सुधार करना, वनों का अग्नि से बचाव, जलागम क्षेत्रों का उपचार कार्य तथा एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन के सुधार करना है।

कैम्पा निधि का उपयोग तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण नियमावली, 2018 के अनुरूप वानिकी एवं वन्य जीवों के संरक्षण के कार्य किए जाते हैं। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने सभी राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र प्राधिकारणों के साथ मिलकर निश्चित समय सीमा मे प्रतिपूरक वनीकरण एवं अन्य अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज किए हैं। राष्ट्रीय प्राधिकरण ने राष्ट्रीय निधि से समर्थित नगर वन योजना को नया रूप दिया है जिसके अंतर्गत देश में 1000 नगर वन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे शहरों में ग्रीन क्षेत्र तथा जैव विविधिता वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण **वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट** में प्राधिकरण के मुख्य कार्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद कैम्पा निधि द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यों में तेजी आई है। कैम्पा निधि से नमामि गंगे मिशन तथा अन्य नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में पौधारोपण के द्वारा सुधार एवं नदी संरक्षण पर अच्छे कार्य किए जा रहें हैं। विलुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण विशेष रूप से मणिपुर के संगाइ हिरण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तटों पर डुगोंग, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा डॉलफिन आदि प्रमुख वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए आवश्यक अनुसंधान कार्यों को भी प्रमुखता दी जा रही है।

मुझे आशा है कि पर्यावरण से संबन्धित समस्याओं को निपटने में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण तथा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कैम्पा प्राधिकारणों को साथ मिलकर प्रयास करेंगें जिससे वनीकरण, वन्य जीवों के संरक्षण और जैव विविधिता की दिशा में दूरगामी अनुकूल परिणाम मिलेंगें।

मैं सभी हितधारकों को इस उत्कृष्ठ एवं व्यावहारिक रिपोर्ट को बनाने में योगदान देने वालों को हार्दिक साधुवाद देता हूं।

(अश्विनी कुमार चौबे)

कार्यालय : 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.akc@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akc@gov.in
कार्यालय: कमरा नं.173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23380630, फैक्स: 011-23380632
Office : Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632
निवास: 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड़, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-23794971, 23017049
Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049

लीना नन्दन
LEENA NANDAN

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE

MESSAGE

Compensatory Afforestation is the conservation perspective adopted by the Government of India for compensating the loss of forest land and ecosystems due to diversions of forests for non-forestry purposes by user agencies, under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.

CAMPA works include a wide array of activities, including, inter-alia; compensatory afforestation; ecological restoration of degraded forests; river and streams rejuvenation; biodiversity enrichment; forest fire prevention; and control and improvement of wildlife habitats. All of these activities have long term ecological and environmental significance.

National CAMPA supports the technology driven initiative of PARIVESH 2.0 for promoting transparency and efficiency in environmental clearances through an online platform. The Nagar Van Yojana supported by National CAMPA, aims to increase green cover in urban areas while the School Nursery programme sensitises young minds towards nature. CAMPA is also assisting in the conservation of endangered species of wildlife such as Great Indian Bustard, Sangai, Dolphin, Dugong etc.

I am happy to note that the Annual Report of National CAMPA for the year 2021-22 gives a brief description of the activities undertaken, along with some of the innovative works for which CAMPA funds were used during the year.

(Leena Nandan)

Place: New Delhi
Date: February 13, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फैक्स : (011)-2081-9238
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238
E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in

जितेंद्र कुमार
JITENDRA KUMAR

सत्यमेव जयते

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE

MESSAGE

Compensatory Afforestation and other measures are taken when a forest area is diverted for non-forestry purpose as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. With the introduction of Compensatory Fund Act (CAF), 2016 and subsequent CAF Rules, 2018, implementation of Compensatory afforestation measures has been further streamlined and made more effective. Effective implementation of the Compensatory Afforestation measures is aimed at maintenance of ecological stability.

The Annual Report, 2021-22 of the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) provides a comprehensive overview of activities undertaken, detailing the utilization of CAMPA funds. The report contains information that may be useful for formulating more appropriate strategies to address critical issues being faced by the forestry sector. The information provided in the report may also be useful in research works for the conservation and scientific management of the valuable forestry resources in the country.

I appreciate the efforts of the Chief Executive officer, CAMPA, and his team of officers for publication of the Annual Report 2021-22 of CAMPA. The report is important as activities planned and implemented with the utilisation of funds available under CAMPA carries high significance for maintaining healthy forest cover across the country. I am convinced that National CAMPA's initiatives will lead to a holistic improvement in forests, playing a significant role in ensuring ecological security.

(Jitendra Kumar)

Place: New Delhi
Date: 4th June, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003
फोन : 011-20819239, 20819209

Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Ph. : 011-20819239, 20819209, E-mail : dgfindia@nic.in

प्राक्कथन

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) 3 अगस्त, 2016 को अधिनियमित किया गया था एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम (सीएएफ नियम, 2018) 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किए गए थे। 30 सितंबर 2018 को सीएएफ अधिनियम एवं सीएएफ नियम, 2018 अस्तित्व में आए जिससे भारत के लोक लेखा के अन्तर्गत विशेष, गैर–व्यपगत एवं सब्याज निधि के रूप में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का निर्माण हो सका। इसी तरह, सीएएफ अधिनियम, 2016 में संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखा के तहत राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रावधान करता है।

सीएएफ अधिनियम, 2016, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार गैर–वानिकी गतिविधियों के लिए वन भूमि के डायवर्जन के कारण वन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए 90% कैम्पा फंड के उपयोग का प्रावधान करता है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त शुल्क को वनीकरण, वन संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीव आवास आदि के सुधार के लिए संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के कैम्पा निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय निधि में जमा राशि का शेष 10% प्रासंगिक अनुसंधान कार्यक्रमों सहित वनों और वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं के लिए उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय कोष हमारे शहरों को हरा–भरा बनाने, जलवायु को लचीला बनाने, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अलावा शहरों में वृक्ष आवरण और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए विभिन्न शहरों में 1000 नगर वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के तहत बड़े पैमाने पर शहरी हरियाली कार्यक्रम का भी समर्थन कर रहा है। कैम्पा गतिविधियाँ ग्रामीण समुदायों की सार्थक भागीदारी और कोविड–19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान के कारण उनकी अभूतपूर्व कठिनाइयों को कम करने में बहुत सहायक रही हैं। राष्ट्रीय कैम्पा राज्यों को गुणात्मक रूप से उन्नत परिणाम लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों, नवीन विचारों और दृष्टिकोणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। कैम्पा गतिविधियाँ ग्रामीण और वन सीमांत क्षेत्रों में वन आधारित हरित रोजगार पैदा करने और विशेष रूप से आदिवासियों और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार का एक प्रमुख स्रोत बन गई हैं। महत्वपूर्ण कैम्पा गतिविधियों में वन क्षेत्रों में नष्ट हुए वनों की समग्र बहाली के लिए वनों में मिट्टी और नमी व्यवस्था में सुधार, जैव विविधता का संवर्धन, स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण शामिल है ताकि वन पारिस्थितिक कार्यों को अनुकूलित करने में सक्षम हों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकें।

यह वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान उपलब्धियों का अवलोकन, 2021–2022 के वार्षिक खातों का विवरण, राष्ट्रीय कैम्पा निधि के तहत विभिन्न योजनाओं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करती है। कैम्पा से राज्य कैम्पा फंड, विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था और स्थिति, नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना और भी बहुत कुछ जानकारियां इसमें दी गई हैं।

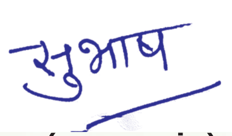

(सुभाष चंद्र)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं
1.	शब्द संक्षेपो की सूची	xiii-xv
2.	विज़न	xvi
3.	मुख्य विशेषताएं	xvii
4.	कार्यकारी सारांश	xix-xx
5.	अध्याय 1: अवलोकन	1–6
6.	अध्याय 2: राष्ट्रीय एवं राज्य कैम्पा का गठन	7–16
7.	अध्याय 3: निगरानी और मूल्यांकन ढांचा	17–22
8.	अध्याय 4: राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा लिया गया निर्णय	23–36
9.	अध्याय 5: वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय कैम्पा के खाते और लेखा परीक्षा	37–55
10.	अध्याय 6: राष्ट्रीय कैम्पा निधि 2021–22 के अंतर्गत योजनाएँ	56–58
11.	अध्याय 7: 2021–22 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ	59–78

शब्द संक्षेपो की सूची

ए.सी.ए	अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण
एआईजीएफ	सहायक वन महानिरीक्षक
एएनआर	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन
एपीओ	संचालन की वार्षिक योजना
एआर	कृत्रिम पुनर्जनन
एएसडब्ल्यू	उन्नत मृदा कार्य
बीएनएचएस	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
सी एंड एजी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण
सीएएफ	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
सीएएमपीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीएटीपी	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना
सीडीएच	क्रिटिकल डुगोंग पर्यावास
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीओएफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधनों पर उत्कृष्टता केंद्र
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
सीजेडए	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
डीईएम	डिजिटल एलिवेशन मॉडल
डीएफएल	निम्नीकृत वन भूमि
डीजीपीएस	डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
ईसी	कार्यकारी समिति
ईएसआरपी	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम
एफसी अधिनियम	वन (संरक्षण) अधिनियम
एफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधन
एफआरआई	वन अनुसंधान संस्थान
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
जीबी	शासी निकाय
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीआईबी	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
जिम	हरित भारत मिशन
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आईडीडब्ल्यूएच	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास
आई आई एफ एम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आईयूसीएन	प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईडब्ल्यूएमपी	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
आईडब्लूएसटी	लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान
जेएफएमसी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओईएफ एवं सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एनएईबी	राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण–विकास बोर्ड
एनबीडब्ल्यूएल	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
एनसीएसी	राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद

एनसीएएफ	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
कैम्पा	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
एनसीडब्ल्यूएफ	राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र
एनएफआईसी	राष्ट्रीय वन कीट संग्रह
नीति	भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान
एन पी वी	शुद्ध वर्तमान मूल्य
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनवीवाई	नगर वन योजना
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
परिवेश	इंटरएक्टिव, सदाचारी और पर्यावरण सिंगल–विंडो हब द्वारा प्रो–एक्टिव और रि. स्पॉन्सिव सुविधा
पीसीए	दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
त्म्क्क+	वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना
एसएआर	अलग ऑडिट रिपोर्ट
एससीएफ	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एसएफडी	राज्य वन विभाग
एसएमसी	मृदा एवं नमी संरक्षण
यूए	उपयोगकर्ता एजेंसी
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
वैपकोस	वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान

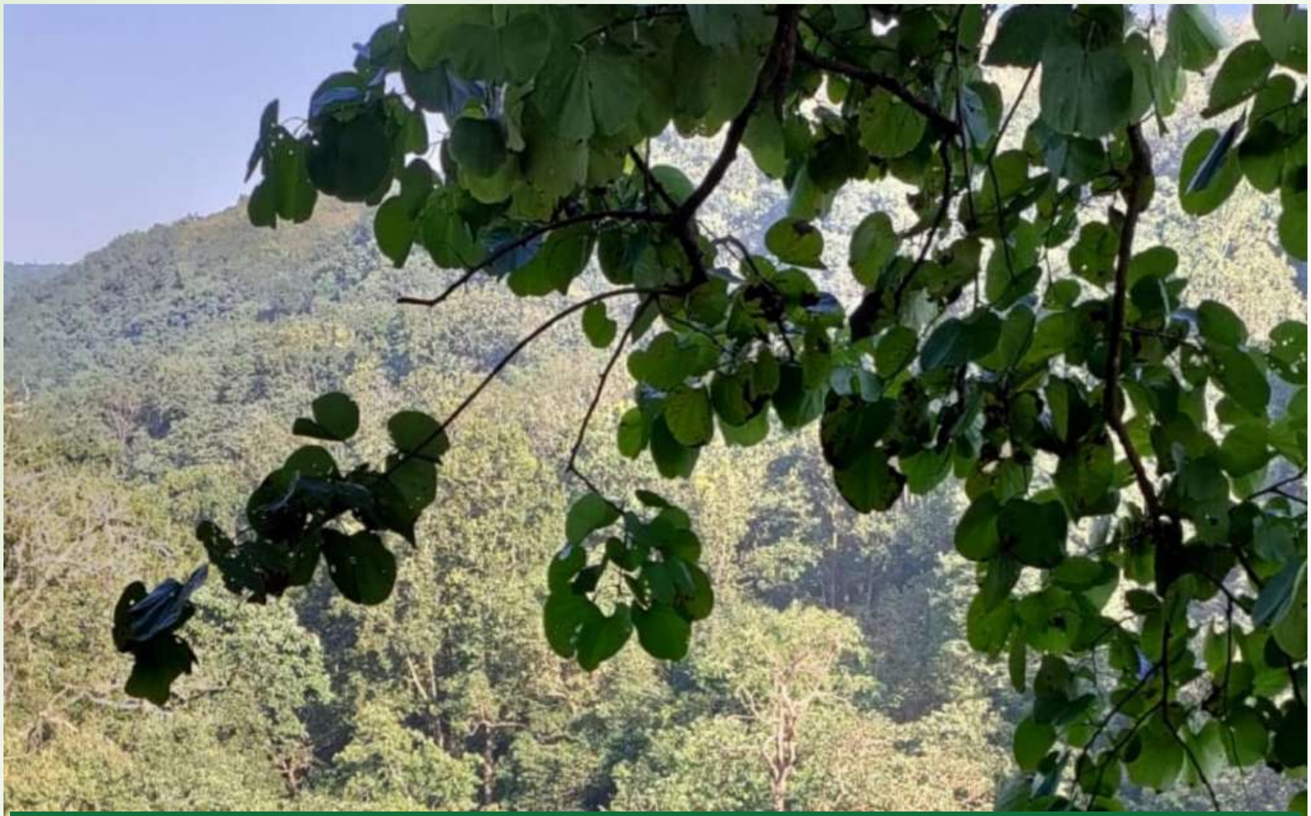

राष्ट्रीय कैम्पा का लक्ष्य है...

''जीवनदायी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण, पुनर्वनीकरण और बहाली के माध्यम से वनों और जैव विविधता का पुनर्निर्माण और संवर्धन।''

मुख्य विशेषताएं

1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के डायवर्जन के बदले उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति शुल्क वसुला जाता है।

2. प्रतिकरात्मक लेवी अर्थात प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, वन्यजीवों पर पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत होता है, जो कि वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए होता है।

3. इन प्रतिकरात्मक शुल्कों को राष्ट्रीय और राज्य निधि में 10:90 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये फंड गैर–व्यपगत योग्य और स–ब्याज देने वाले हैं। राष्ट्रीय निधि का रखरखाव भारत के सार्वजनिक खाते में किया जाता है, जबकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की निधि का रखरखाव संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक खाते में किया जाता है।

4. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि कार्यों के प्रबंधन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय कैम्पा) है। राष्ट्रीय कैम्पा में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और एक निगरानी समूह शामिल हैं।

5. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैम्पा (प्राधिकरण) प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कार्य करते हैं।

6. प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और किसी अन्य साइट–विशिष्ट गतिविधि/योजना के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुसार अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जाता है।

7. शुद्ध वर्तमान मूल्य निधि का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव आवास में सुधार, जंगल की आग पर नियंत्रण और रोकथाम आदि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

8. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और तंत्र प्रदान करते हैं।

कार्यकारी सारांश

1. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) को 3 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और सीएएफ नियम, 2018 को 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया था। सीएएफ अधिनियम और नियम 2018; 30 सितम्बर 2018 से लागू हुए।

2. सीएएफ अधिनियम प्रतिकरात्मक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और दूसरी सभी राशियां जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त होती है को भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक खातों में रखने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम तदर्थ कैम्पा द्वारा रखी गई धनराशि का 90% विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके हिस्से के रूप में हस्तांतरित करने और 10% अपने पास रखने का प्रावधान करता है।

3. सीएएफ अधिनियम सीएएमपीए निधि के प्रशासन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरों पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और निगरानी समूह शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कैम्पा प्राधिकारियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों की कार्यकारी समिति, संचालन समिति और शासी निकाय हैं।

4. सीएएफ अधिनियम के तहत उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कैम्पा प्राधिकरण द्वारा संचालन की वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। सीएएफ अधिनियम की धारा 19 के तहत, राज्य कैंपा की कार्यकारी समिति राज्य कैंपा फंड से कार्यान्वित की जाने वाली वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और अन्य संबंधित गतिविधियों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का विवरण देते हुए संचालन की वार्षिक योजना तैयार करती है, जो राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की जांच और मंजूरी के बाद राष्ट्रीय प्राधिकरण की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।

5. सीएएफ अधिनियम, 2016 लागू होने के बाद, प्रतिकरात्मक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना, शुद्ध वर्तमान मूल्य और ब्याज गतिविधियों के लिए 31.03.2022 तक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जिन्होंने फंड का शीर्ष–वार और घटक–वार रिकंसीलेशन पूरा कर लिया है को कुल 54,848.32 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुपालन में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास 4,400.14 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति शुल्क जमा किया गया था।

6. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की पांच बैठकें (12वीं से 16वीं ईसी बैठकें) और निगरानी समूह की एक बैठक (छठी एमजी बैठक) आयोजित की गईं।

7. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने 2021–22 के दौरान 9,128.22 करोड़ रुपये के परिव्यय के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एपीओ को मंजूरी दी है, जिसमें से 6,018.09 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा सीएएफ अधिनियम, 2016 और नियम, 2018 के अंतर्गत अनुमोदित

विभिन्न कैम्पा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। कैम्पा गतिविधियों की निगरानी राज्य अधिकारियों द्वारा तीसरे पक्ष के साथ–साथ आंतरिक निगरानी के माध्यम से की जा रही है।

8. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने 1980 से 31.03.2022 तक 11.38 लाख हेक्टेयर के प्रतिबद्ध प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए) को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रयास कर रहे हैं, 10.29 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए) का काम पूरा कर लिया है, जो सीए के संचयी लक्ष्य का 90.43% है। इसके अलावा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अगले दो वर्षों में लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा गया है।

9. राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसरण में तैयार की जाती है। इसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण की गतिविधियां शामिल हैं:–

    क) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि से जारी राशि से की गई गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन का सारांश;

    ख) वर्ष के दौरान निष्पादित धारा 5 के खंड (बी) के उप–खंड (ii) में निर्दिष्ट विशिष्ट योजनाओं का सारांश;

    ग) राज्य कैम्पा निधियों के क्षेत्र, निगरानी और उपयोग में कैम्पा गतिविधियों को चलाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्राप्त और हस्तांतरित की गई राशि।

अवलोकन

अध्याय 1

1. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)

1.1 (क) इस अधिनियम को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 कहा जा सकता है।

(ख) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में है।

(ग) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सकती है।

1.2 इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''तदर्थ प्राधिकरण'' का अर्थ 5 मई के आदेश के तहत गठित तदर्थ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है। टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय का 2006, रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 ऑफ़ 1995;

(ख) ''अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण'' का अर्थ राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय का अध्यक्ष है;

(ग) ''अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण'' का अर्थ है राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय का अध्यक्षः

(घ) ''प्रतिकरात्मक वनरोपण'' का अर्थ है वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर–वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के बदले में किया गया वनीकरण;

(ङ) **''पर्यावरणीय सेवाएँ'' में शामिल हैं –**

i. लकड़ी, गैर–लकड़ी वन उत्पाद, ईंधन, चारा, पानी जैसी वस्तुओं का प्रावधान और चराई, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और जीवन समर्थन जैसी सेवाओं का प्रावधान;

ii. बाढ़ नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण और मिट्टी, वायु और जल व्यवस्था के स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को विनियमित करना;

iii. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैव विविधता, पोषक चक्रण और परागण और बीज फैलाव सहित प्राथमिक उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सेवाओं का समर्थन करना;

(च) ''क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख'' का अर्थ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन संरक्षण मामलों से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम अधिकारी है;

(छ) ''निगरानी समूह'' का अर्थ धारा 9 की उपधारा (3) के तहत गठित राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि से जारी राशि से की जाने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह है;

(ज) ''राष्ट्रीय प्राधिकरण'' का अर्थ है धारा 8 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण;

(झ) ''राष्ट्रीय निधि'' का अर्थ धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि है;

(ञ) ''शुद्ध वर्तमान मूल्य'' का अर्थ है गैर–वानिकी उपयोगों के लिए परिवर्तित वन क्षेत्र के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय सेवाओं की मात्रा का निर्धारण, जैसा कि इस संबंध में समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(ट) ''दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण'' का अर्थ है वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट प्रतिकरात्मक वनरोपण के अलावा उस क्षेत्र की सीमा के बदले में किया जाने वाला वनरोपण कार्य, जिस पर गैर–वानिकी गतिविधियां बिना किए की गई हैं, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना;

(ठ) ''निर्धारित'' का अर्थ इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(ड) ''राज्य प्राधिकरण'' का अर्थ धारा 10 के तहत गठित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है;

(ढ) ''राज्य निधि'' का अर्थ धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रत्येक राज्य द्वारा स्थापित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि है;

(ण) ''राज्य सरकार'' में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन शामिल है;

(त) 'उपयोगकर्ता एजेंसी' का अर्थ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति, संगठन या कंपनी या विभाग जो गैर–वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के डायवर्जन या गैर–अधिसूचना के लिए अनुरोध करता है या गैर–वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और जारी दिशा–निर्देश।

1.3 प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016

i. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) को 3 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। सीएएफ नियम, 2018 को 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया था। सीएएफ अधिनियम और नियम 2018 30.09.2018 से लागू हुए।

ii. सीएएफ अधिनियम प्रतिकरात्मक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और सभी के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को जमा करने के लिए भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक खातों के तहत धन की स्थापना का प्रावधान करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसी एजेंसियों से वसूली गई अन्य राशियाँ भी शामिल हैं। सीएएफ अधिनियम, 2016 के प्रावधान एफसीए के पूरक हैं। वन भूमि के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी चाहने वाली किसी भी उपयोगकर्ता एजेंसी का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के नोडल अधिकारी, एफसीए के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एफसीए के तहत अनुमोदन में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

के वन विभाग द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए) के लिए भूमि चिह्नित करना, सीए, एनपीवी के लिए धन जमा करना और अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं शामिल हैं। एकत्रित धन का उपयोग सीएएफ अधिनियम की व्यवस्था के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव के लिए दी गई मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में प्रतिकरात्मक वनीकरण और अन्य गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है।

iii. यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है ताकि धन का प्रबंधन और प्रबंधन किया जा सके और एकत्रित धन का उपयोग सीएएमपीए गतिविधियां जैसे कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण), प्राकृतिक सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सके। पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा, वन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियाँ और अधिनियम के कार्यों को पूरा करना।

iv. अधिनियम में तदर्थ कैम्पा द्वारा धारित निधियों का 90% हिस्सा विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके हिस्से के रूप में हस्तांतरित करने और निधि का 10% राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास राष्ट्रीय निधि के रूप में बनाए रखने का प्रावधान है। ये कैम्पा निधियाँ भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खातों में रखी जाती हैं। ये फंड नॉन–लैप्सेबल और ब्याज देने वाले होते हैं।

1.4 प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 की मुख्य विषेशताएं

- इसके प्रबंधन एवं उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन। –धारा–3(1), और धारा–3(6),।
- प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत गैर–व्यपगत योग्य, ब्याज–युक्त राज्य निधि की स्थापना और इसके प्रबंधन और उपयोग के लिए राज्य प्राधिकरण का गठन धारा–4(1),।
- राष्ट्रीय निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ख्धारा–3(2),।
- प्रत्येक राज्य में राज्य निधि राज्य सरकार के नियंत्रण में है और राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित की जाएगी ख्धारा–4(2),।
- निगरानी और मूल्यांकन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए एक निगरानी समूह की स्थापना धारा–9(3),।
- तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध धनराशि को राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित करना और इस निधि का नब्बे प्रतिशत राष्ट्रीय निधि से, उस पर अर्जित ब्याज सहित, संबंधित राज्य निधि में स्थानांतरित करना धारा–5(ए), .
- सीए के लिए मिला फंड, अतिरिक्त सीए, दंड सीए, सीएटी योजना और किसी भी अन्य साइट–विशिष्ट योजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 धारा –6 (ए), के तहत भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत साइट विशिष्ट योजनाओं के अनुसार उपयोग किया जाएगा।
- एनपीवी और दंडात्मक एनपीवी का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन,

वन प्रबंधन, वन सुरक्षा, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, लकड़ी की आपूर्ति और अन्य वन उपज बचत उपकरणों और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जाएगा। प्रति अनुमोदित योजना धारा–6(बी),।

- राज्य निधि में उपलब्ध निधियों पर अर्जित ब्याज और राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किए गए सभी धन पर अर्जित ब्याज का उपयोग वन और वन्यजीवों के संरक्षण और विकास और राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए किया जाएगा, विशेष रूप से बढ़ी हुई गतिविधि, वेतन और भत्तों की लागत की भरपाई के लिए, कैम्पा प्राधिकरणों में कर्मचारी, बुनियादी ढाँचा और क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/जागरूकता आदि। धारा–6(ई),।
- संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में वन भूमि के डायवर्जन से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्राप्त धनराशि एक कोष बनेगी और उससे होने वाली आय का उपयोग विशेष रूप से उपक्रम के लिए किया जाएगा। ऐसे पीए से स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा सहित पीए में संरक्षण और संरक्षण गतिविधियां। असाधारण परिस्थिति में, कोष के एक हिस्से का उपयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के अधीन भी किया जा सकता है धारा–6(डी),।
- 31 दिसंबर तक अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को भेजेगी।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, राज्य प्राधिकरणों के एपीओ को ऐसे संषोधनों के साथ मंजूरी देगा जो वह उचित और उचित समझे धारा –15(1)(प),।
- केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से सीएएफ अधिनियम, 2016 धारा–30(1), के प्रयोजन के लिए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 को भी अधिसूचित किया है।

1.5 राष्ट्रीय कैम्पा में प्राप्त धनराषि की प्राप्ति और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वितरण की प्रक्रिया।

- सड़क, रेलवे लाइन, बिजली लाइन, बांध, खनन आदि जैसी किसी भी विकास परियोजना को षुरू करने के लिए साइट–विशिष्ट गैर–वानिकी गतिविधि के लिए वन भूमि का उपयोग करने की इच्छुक किसी भी एजेंसी को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। वन भूमि के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) के प्रावधान। इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध वैकल्पिक भूमि के अभाव में प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा वन मंजूरी (एफसी) प्रदान की जाती है।
- उपयोगकर्ता एजेंसी को संबंधित राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिकरात्मक वनीकरण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और ऐसी भूमि पर उठाए जाने वाले प्रतिकरात्मक वनीकरण, एनपीवी और अन्य लेवी की लागत जमा करने की आवश्यकता है। एनपीवी का मूल्य उपयोगकर्ता एजेंसी से वन भूमि की श्रेणी/प्रकार के आधार पर प्राप्त किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए डायवर्ट किया जा रहा है।
- ये धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के सार्वजनिक खातों में 10:90 के अनुपात में जमा की जाती है जो ब्याज देने वाली और गैर–व्यपगत योग्य होती है।

1.6 प्रतिकरात्मक लेवी का संग्रहण एक नज़र में

कैम्पा निधि निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत जमा की जाती हैः –

1. **अनिवार्य गतिविधियाँः**
   - i. प्रतिकरात्मक वनरोपण
   - ii. दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण
   - iii. कोई अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण,
   - iv. जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना
   - v. एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
   - vi. अन्य साइट विशिष्ट गतिविधियाँ
2. **बुद्ध वर्तमान मूल्य**
3. **ब्याज घटक**

1.7 राष्ट्रीय निधि का उपयोग

- राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए गैर–आवर्ती और आवर्ती व्यय, जिसमें इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय।
- किसी भी संस्थान, सोसायटी, वन और वन्य जीवन के क्षेत्र में उत्कृश्टता केंद्र, पायलट योजनाओं, कोड और दिशा–निर्देशों के मानकीकरण और वानिकी और वन्य जीवन क्षेत्र के लिए ऐसी अन्य संबंधित गतिविधियों सहित राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं पर किया गया व्यय।

***

[1]दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपणरू इसका अर्थ है वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट प्रतिपूरक वनरोपण के अलावा उस क्षेत्र की सीमा के बदले में किया जाने वाला वनरोपण कार्य, जिस पर बिना प्राप्त किए गैर–वानिकी गतिविधियां की गई हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति।

[2]शुद्ध वर्तमान मूल्य रू समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित गैर–वानिकी उपयोगों के लिए परिवर्तित वन क्षेत्र के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय सेवाओं की मात्रा का मतलब है।

प्रतिकरात्मक वनरोपण पेम्ब्रोकबे मायाबंदर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

दीवाल निर्माण पारिस्थितिक पुर्नस्थापना हेतु झीरी वन ब्लॉक, अलवर, राजस्थान

वाटर शेड विहंगम दृश्य, मालूटाना, थंगाजीरेंज, अलवर, राजस्थान

राष्ट्रीय एवं राज्य कैम्पा का गठन

अध्याय 2

2. राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा

2.1 राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय

राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय का गठन माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय कैम्पा के शासी निकाय की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	पद
i.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष, पदेन
ii.	पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, वित्त (व्यय), ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, कृषि, पंचायती राज, जनजातीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित मंत्रालयों के सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)	सदस्य, पदेन
iii.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vii.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दस क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक से अधिक नहीं, एक समय में दो साल की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे।	सदस्य, पदेन
ix.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
x	पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों में से प्रत्येक में से पांच विशेषज्ञों को केंद्र सरकार द्वारा दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं हो।	सदस्य, पदेन
xi.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

2.1.1 शासी निकाय की शक्तियाँ और कार्य

राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करता है और निम्नलिखित कार्य करता है:

- राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करना।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी दें।
- कार्यकारी समिति और निगरानी समूह द्वारा लिए गए निर्णय पर रिपोर्ट की समीक्षा करें।
- योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी।

2.2 राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति का गठन वन महानिदेशक और विशेष सचिव (DGF&SS) की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ किया गया है। राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है:–

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	पद
i.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
ii.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iii.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन;
v.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन;
vi.	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य,
vii.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन;
viii.	एक पेशेवर पारिस्थितिकीविज्ञानी, जो केंद्र सरकार से नहीं है	सदस्य;
ix.	वानिकी, आदिवासी विकास, वन अर्थव्यवस्था विकास के तीन विशेषज्ञ, जो केंद्र सर. कार से नहीं हैं	सदस्य;
x.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य– सचिव

2.2.1 कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों के संचालन की वार्षिक योजना का अनुमोदन;
- धारा 5 सीएएफ अधिनियम, 2016 के खंड (बी) के उप–खंड (iii) के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना और योजनाएं/पायलट परियोजनाएं निष्पादित करना;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों पर अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती;

- राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- राष्ट्रीय निधि में उपलब्ध अधिशेष राशि का निवेश करना;
- राष्ट्रीय निधि में राशि की प्राप्ति के संबंध में अन्य दैनिक कार्य निष्पादित करना;
- खाते की किताबें और ऐसे अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।
- राज्य प्राधिकारियों को अपेक्षित वैज्ञानिक तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना;
- जानकारी के लिए अपने निर्णयों को शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण पर एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना और इसके लेनदेन पर सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना;
- समय–समय पर शासी निकाय या केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

2.3 राष्ट्रीय प्राधिकरण का निगरानी समूह

निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल होंगे।

2.4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण, कैम्पा

राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य के राज्य निधि के प्रबंधन और अधिनियम के उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक शासी निकाय शामिल होगा जिसे एक संचालन समिति और एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

2.4.1 राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय

राज्य कैम्पा प्राधिकरणों की शासी निकाय का गठन राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सदस्यों के साथ किया जाता है। किसी केंद्रशासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं होने की स्थिति में, उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो, शासी निकाय का अध्यक्ष हो सकता है।

तालिका–1: शासी निकाय, राज्य कैम्पा की संरचना/गठन [धारा–10(5)]

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1	माननीय मुख्यमंत्री, राज्य और यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं है, तो उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो	अध्यक्ष, पदेन
2	माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, राज्य सरकार	सदस्य, पदेन
3	राज्य सरकार के मुख्य सचिव	सदस्य, पदेन

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
4	राज्य सरकार के पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	सदस्य, पदेन
6	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक	सदस्य, पदेन
7	राज्य में वन विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन

2.4.2 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के शासी निकाय की शक्तियां और कार्य [धारा–17(1)]

राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय –

1. राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समग्र ढांचे के भीतर ऐसे राज्य प्राधि. करण के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना।
2. राज्य प्राधिकरण के कामकाज की समय–समय पर समीक्षा करना।
3. छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.5 राज्य प्राधिकरण की राज्य स्तरीय संचालन समिति

राज्य कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ गठित की जाती है। राज्य कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की संरचना इस प्रकार है:

तालिका–2: राज्य कैम्पा की संचालन समिति की संरचना [धारा–11(2)]

क्र.सं	धारित कार्यालय का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष, पदेन
2.	वन, पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव	सदस्य, पदेन
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF), राज्य	सदस्य, पदेन
4.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक	सदस्य, पदेन
5.	नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	सदस्य, पदेन
6.	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य, पदेन
7.	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
8.	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.5.1 संचालन समिति की शक्तियाँ एवं कार्य [धारा–18(1)]

राज्य प्राधिकरण की संचालन समितिः –

1. राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई संचालन की वार्षिक योजना की जांच करना और ऐसे संषेाधनों के साथ अनुमोदन करना जो वह उचित समझें और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को भेजना।
2. राज्य निधि से जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना,
3. निवेश निर्णयों सहित कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर रिपोर्ट की समीक्षा करना,
4. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अधीन मंजूरी देना,
5. राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देना और उसे प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखने के लिए राज्य सरकार को भेजना,
6. अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना,
7. हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.6 राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति [धारा–11(3)]

राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति का गठन अन्य सदस्यों के साथ राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख (HoFF) की अध्यक्षता में किया गया है। राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है;

तालिका–3ः कार्यकारी समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान

क्र.सं	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राज्य	अध्यक्ष, पदेन
2	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज्य	सदस्य, पदेन
3*	वन और वन्यजीव संबंधी योजनाओं को देखने वाला मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
4*	वानिकी अनुसंधान से संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
5	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
6	पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
7	वित्तीय नियंत्रक या वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य, पदेन
8	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन	सदस्यों

क्र.सं	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
9	जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे	सदस्यों
10	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदाय का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.6.1 राज्य की कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य (धारा–19(1))

राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समितिः–

- परिचालन की वार्षिक योजना तैयार करना और सहमति के लिए संचालन समिति को प्रस्तुत करना
- राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- खाते की किताबे और अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।
- राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए जिम्मेदार।
- राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की वार्शिक योजना तैयार करनाः

राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित एपीओ को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को हर साल 31 दिसंबर से पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है।

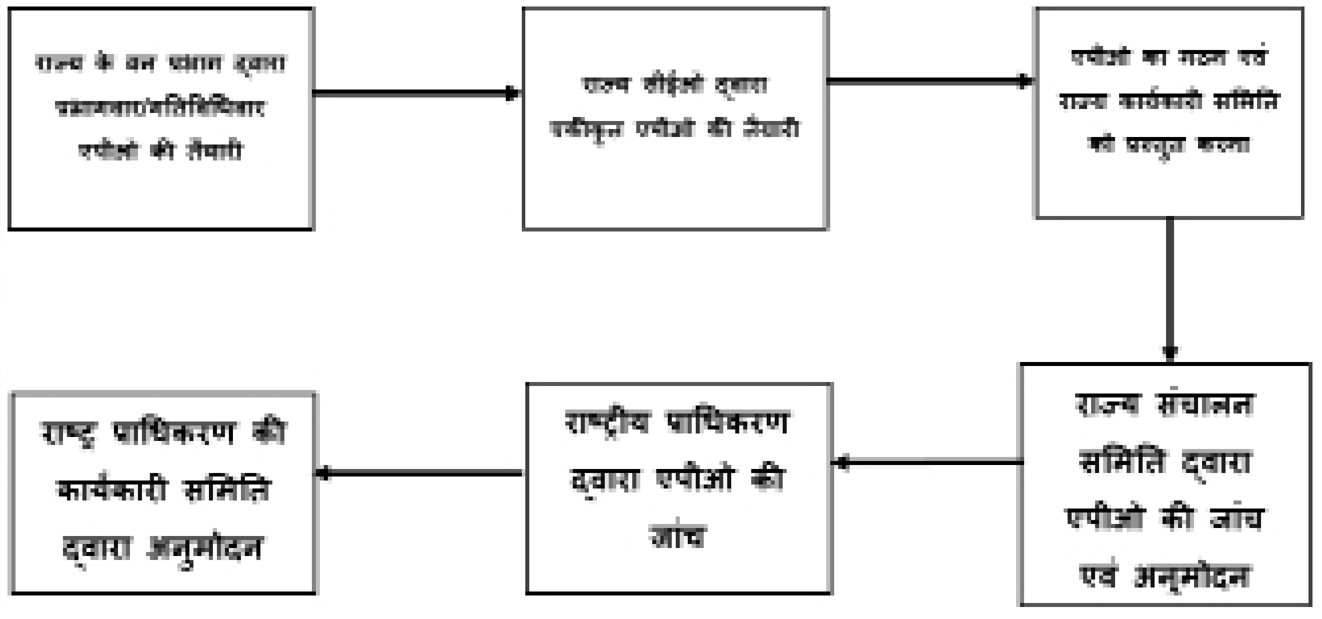

इस संबंध में सीएएफ अधिनियम, 2016 में प्रावधान इस प्रकार हैं:

i. साइट विशिष्ट गतिविधियाँ: प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए), दंडात्मक सीए, अतिरिक्त सीए, सीएटी योजना और किसी भी अन्य साइट–विशिष्ट योजना के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग वन के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदित प्रस्तावों के साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत साइट विशिष्ट योजनाओं के अनुसार किया जाता है।

ii. वन्यजीव गतिविधियाँ: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णयों या संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के डायवर्जन के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्राप्त धन का उपयोग विशेष रूप से राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाना है।

iii. एनपीवी फंड से गतिविधियां: एनपीवी और दंडात्मक एनपीवी के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, लकड़ी और अन्य वन उपज की आपूर्ति के लिए किया जाना है।

iv. राज्य निधि पर अर्जित ब्याज से अनुमत गतिविधियाँ: राज्य प्राधिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय को राज्य निधि में अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है।

***

सृजन कृत्रिम पुर्नजनन, राहो खोनसा, वन मंडल, अरूणांचल प्रदेश

कृत्रिम वृक्षारोपण, लाजु, खोनसा वन मंडल, अरूणांचल प्रदेश

सृजन कृत्रिम पुर्नजनन, खेती, खोनसा, वन मंडल, अरूणांचल प्रदेश

मार्ग वृक्षारोपण, छत्तीसगढ़

हाई–टेक नर्सरी, छत्तीसगढ़

निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

अध्याय 3

3.1 निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी और प्रदर्शन की समीक्षा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभाग द्वारा अपने वन अधिकारियों, निगरानी और मूल्यांकन विंग के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों को शामिल करके की जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण वृक्षारोपण के स्थान, क्षेत्र और वर्ष की सटीकता के लिए ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर राज्य वन विभागों द्वारा अपलोड किए गए वृक्षारोपण के भू–स्थानिक डेटा (बहुभुज) का विष्लेशण करता है।

3.1.1 सीएएफ अधिनियम धारा 9 (3) में राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह के गठन का प्रावधान है

निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के क्षेत्र में छह विशेषज्ञ और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल होंगे।

3.1.2 सीएएफ अधिनियम धारा 16(1) में प्रावधान है कि निगरानी समूह

i. केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैम्पा निधि से जारी धन के प्रभावी और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली विकसित करें।

   बशर्ते कि केंद्र सरकार रिमोट सेंसिंग एजेंसियों सहित व्यक्तिगत और संस्थागत विशेषज्ञों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन भी कर सकती है;

ii. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके निष्पादित कार्यों का निरीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षा करना;

iii. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय करें।

iv. निगरानी समूह की तीन माह में कम से कम एक बार बैठक होगी।

3.1.3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निम्नानुसार की जा रही है

i. आंतरिक निगरानी:– आंतरिक निगरानी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वन विभाग के वन अधिकारियों की टीम

द्वारा की जाती है, उनके अलावा जिन्होंने कैम्पा गतिविधियों को अंजाम दिया है। प्रत्येक राज्य ने निगरानी और मूल्यांकन विंग के प्रभारी के रूप में अधिकारियों को नामित किया है। कई राज्यों में मॉनिटरिंग विंग के प्रभारी के रूप में पीसीसीएफ/एपीसीसीएफ/सीसीएफ हैं। छोटे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निगरानी डीसीएफ, एसीएफ द्वारा की जाती है। वरिष्ठ वन अधिकारियों को रेंज वन अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं और तकनीकी अधिकारियों के सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रभाग और रेंज स्तर द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखकर नियमित रूप से आंतरिक निगरानी की जा रही है।

ii. तृतीय पक्ष निगरानीः – तृतीय पक्ष निगरानी उन तकनीकी संस्थानों/एजेंसियों द्वारा की जा रही कैम्पा गतिविधियों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वानिकी और वन्यजीव के क्षेत्र में प्रतिशिठत गैर सरकारी संगठनों जैसे राज्यों के अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं।

iii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानीः– क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी भी अपने समन्वय के तहत कैम्पा गतिविधियों की निगरानी करते हैं। चूंकि आईआरओ द्वारा वन विवर्तन प्रस्तावों को मंजूरी/जांच और मंत्रालय के लिए अनुषंसित किया जा रहा है, इसलिए वे सीएएमपीए गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन भी कर रहे हैं।

iv. एफएसआई आधारित ई–ग्रीन वॉच :– ई–ग्रीन वॉच वृक्षारोपण की निगरानी के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग आधारित पोर्टल है। यह एफएसआई, देहरादून द्वारा किया जाता है जो वृक्षारोपण की केएमएल फाइलों के सत्यापन पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे जमीनी सत्यापन के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

v. राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निगरानीः– राष्ट्रीय प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी समय–समय पर कैम्पा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं।

3.2 ई–ग्रीन वॉच पोर्टल

ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, जिसकी उत्पत्ति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई, 2009 के आदेश से हुई है और इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एफएसआई और राज्य वन विभागों के परामर्श से एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एक एकीकृत प्रणाली है जो कैम्पा निधियों का उपयोग करके राज्य वन विभागों (एसएफडी) द्वारा किए जा रहे सभी वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। ई–ग्रीन वॉच एक वेब–आधारित, उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है। यह कैम्पा के तहत बनाए गए वृक्षारोपण और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक एकीकृत पोर्टल (http:@@www-egreenwatch-nic-in) है।

3.2.1 एफएसआई की भूमिकाः

- एसएफडी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों की जांच करता है
- विभिन्न श्रेणियों में टिप्पणियों को पूर्ण, अपर्याप्त और अस्पष्ट तथा समीक्षाधीन के रूप में प्रस्तुत करना।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मासिक रिपोर्टिंग

- एनआईसी के साथ एसएफडी का प्रशिक्षण

अब तक, 30 से अधिक राज्यों एसएफडी/केंद्र शासित प्रदेशों ने एफएसआई से अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई–ग्रीन वॉच पर प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में 34 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ई–ग्रीन वॉच पोर्टल से जुड़े हुए हैं। यह एप्लिकेशन कैम्पा गतिविधियों की निम्नलिखित पांच श्रेणियों की निगरानी करने में सक्षम हैः

1. **प्रतिकरात्मक वनरोपण भूमि (सीए साइटें)** – गैर–वन गतिविधियों के लिए वन भूमि डायवर्सन के मुआवजे के रूप में प्राप्त भूमि।
2. **डायवर्टेड भूमि (डीएल)** – वन भूमि को गैर–वन गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया गया।
3. **वृक्षारोपण कार्य (पीडब्लू)** – सीए स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया
4. **अन्य वृक्षारोपण कार्य (ओपीडब्ल्यू)** – गैर–सीए स्थलों पर किया गया वृक्षारोपण कार्य

एफएसआई ई–ग्रीन वॉच पर एसएफडी/यूटी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों का विश्लेषण और निगरानी करता है।

***

दिपा बीट नर्सरी, लिकाबाली, अरूणांचल प्रदेश

जल संरक्षण, तेलंगाना

चैक डाम, ओडिसा

राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा लिया गया निर्णय

अध्याय 4

4.1 कार्यकारी समिति की बैठकें:

4.1.1 12वीं कार्यकारी समिति की बैठक 27 अप्रैल 2021 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

(करोड़ रुपये में)

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.गोवा का एपीओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	5.25	कार्यकारी समिति ने 6 राज्यों के एपीओ को मंजूरी दी।
2.हरियाणा		14.73	
3.राजस्थान		3.55	
4.तेलंगाना		12.00	
5.उत्तर प्रदेश		14.63	
6.उत्तराखंड		29.50	

4.1.2 13वीं कार्यकारी समिति की बैठक 7 जून, 2021 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यक. ारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

(करोड़ रुपये में)

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1. गुजरात का एपीओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	–	कार्यकारी समिति ने 3 राज्यों के एपीओ को मंजूरी दी।
2. झारखंड		354.13	
3. पंजाब		13.37	

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
आईसीएफआरई देहरादून द्वारा प्रस्तुत वन अग्नि उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएफएफ) की स्थापना	आग की रोकथाम, पता लगाना और आग लगने के बाद का प्रबंधन जिसमें नुकसान का आकलन और पुनः स्थापन शामिल है।	22.31	सीएएफ अधिनियम 2016 की उपधारा 14 (1) (iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव को राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुशंसित किया गया हैः i. इस परियोजना का नाम श्वन अग्नि प्रबंधन पर राष्ट्रीय सहयोगात्मक योजना रखा जाएगा। i i. कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी करना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग की जिम्मेदारी होगी।
खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वन पर प्रायोगिक परियोजना (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)	वन प्रबंधन/विकास प्रौद्योगिकियों पर वन विभाग की बेहतर समझ और निर्माण क्षमता, और अन्य सहायक पारिस्थितिक सेवाओं के अलावा, वन–सीमावर्ती समुदायों के लिए भोजन और पोषण संबंधी वन उत्पादों में वृद्धि	45.55	कार्यकारी समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीएएफ अधिनियम 2016 की उपधारा 14 (1) (iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण के सरकारी निकाय की मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश कीः i) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग को परियोजना के तहत उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विशिष्ट घटकों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों से अभिसरण और वित्त पोशण के संबंध में पुष्टि मिलेगी। ii) कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी करना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रभाग की जिम्मेदारी होगी।

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
आईसीएफआरई, देहरादून द्वारा वनस्पति और मिट्टी की नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से पानी की उपज और पानी की गुणवत्ता में वृद्धि पर प्रायोगिक परियोजना प्रस्तुत की गई।	• वाटरशेड की रूपात्मक विशेषताओं और प्राथमिकता को निर्धारित करना। • वनस्पति और मिट्टी/जल संरक्षण उपायों के माध्यम से खराब हुए जलक्षेत्र को बहाल करना और पानी की उपज और पानी की गुणवत्ता (सतही और भूजल) दोनों को बढ़ाना, जिससे ऐसे पदार्थों/जीवों को भी कम किया जा सके जो जलसंभर में जल निकायों में पानी की पोर्टेबिलिटी को कम करते हैं।	90.00	कार्यकारी समिति ने सीएएफ अधिनियम 2016 की उप–धारा 14 (1) (iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण के सरकारी निकाय की मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की, बशर्ते कि कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी की जिम्मेदारी होगी।
प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वन क्षेत्र में एक पायलट वाटरशेड के लिए लीडार के साथ डीपीआर तैयार करना	• लीडार तकनीक का उपयोग करना जिसके साथ (तीन आयाम) डिजिटल एलिवेशन मॉडल • परियोजना क्षेत्र की इमेजरी और परतें तैयार करना	18.38	कार्यकारी समिति ने सीएएफ अधिनियम 2016 की उप–धारा 14 (1) (iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार इस शर्त के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की पूर्व–प्रभावी मंजूरी के प्रस्ताव की सिफारिश की, बशर्ते कि इस परियोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी करने की जिम्मेदारी एनएईबी की होगी।
एफएसआई, देहरादून द्वारा प्रस्तुत पायलट क्षेत्रों में डीजीपीएस का उपयोग करके वन सीमा का सीमां. कन, सर्वेक्षण और भू–संदर्भ	• विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वन भूमि के भू–संदर्भ की प्रगति की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और एक वेब पोर्टल (जीआईएस आधारित) विकसित करना।	0.94	कार्यकारी समिति ने सीएएफ अधिनियम 2016 की उप–धारा 14 (1) (iv) में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की, बशर्ते कि कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सर्वे एंड यूटिलाइजेसन प्रभाग की होगी।

4.1.3 14 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 22, 23, 30 जुलाई 2021 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

(करोड़ रुपये में)

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1) असम का एपीओ	• ब्रह्मपुत्र पुनर्जीवन कार्यक्रम • आरक्षित वन में डीजीपीएस/ई.टीएस का उपयोग करके वन सीमा का सर्वेक्षण सीमांकन और भू–संदर्भ • 24 जैव विविधता पार्कों सहित फ्रंटलाइन स्टाफ/फील्ड पर्सनल के लिए स्टाफ सुविधाएं। • सैटेलाइट फोन की खरीद • स्मार्ट फोन की खरीद • वन महोत्सव का प्रचार, जागरूकता एवं उत्सव	88.13	कार्यकारी समिति ने एपीओ को मंजूरी दे दी
2) दिल्ली राज्य प्राधिकरण का एपीओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	15.82	
3) कर्नाटक		233.56	
4) तेलंगाना के लिए स्पिल ओवर एपीओ		–	स्पिल ओवर एपीओ को मंजूरी दी गई
5) आईए प्रभाग द्वारा कैम्पा से CPC ग्रीन परिवेश 2.0 के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रस्तुत की गई	1. सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण 2. कैम्पा कार्यों के प्रबंधन एवं निगरानी में सहायता 3. प्रतिकरात्मक लेवी का भुगतान तंत्र। 4. वन, पर्यावरण और वन्यजीव क्षेत्र का एकीकृत प्रशासन	95.59	1. राशि त्रैमासिक किस्तों में जारी की जाएगी । 2. परियोजना प्रभाग प्रणाली के विकास के चरण का आकलन करने के लिए तकनीकी निगरानी समिति का गठन करेगा।
6) आईसीएफआरई के सहयोग से राज्यों में शुरू की जाने वाली 'सीड बॉल प्लांटेशन' पर एक पायलट परियोजना को मंजूरी	1. 20 राज्यों में लागू किया जाएगा। 2. अवधिः 2 वर्ष 3. विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हरित प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर हरियाली अभ्यास के पूरक के लिए कम लागत वाली नवीन तकनीक।	9.04	कार्यकारी समिति ने एनएईबी डिवीजन के माध्यम से आईसीएफआरई द्वारा प्रस्तावित एजेंडा आइटम में दिए गए विवरण पर विचार–विमर्श किया

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
''भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आईडीडब्ल्यूएच योजना के अंतर्गत शामिल लुप्तप्राय प्रजातियों के अखिल भारतीय मूल्यांकन और निगरानी'' पर परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी	1. राज्य वन विभागों और अन्य एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के साथ डेटा अंतर को कम करे 2. अवधिः 2 वर्ष 3. पद्धतिगत प्रोटोकॉल विकसित करना, डीड. ब्ल्यूएच के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों की आबादी का आकलन और निगरानी करना 4. संबंधित फ्रंटलाइन स्टाफ का क्षमता निर्माण	19.05	कार्यकारी समिति ने राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदन के लिए परियोजना की सिफारिश की
राष्ट्रीय कार्यालय को मजबूत करने को मंजूरी	1. कैम्पा के शासी निकाय की बैठक 2. कैम्पा में जमा धनराशि का मिलान 3. उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई राशि की पुष्टि 4. कैम्पा का ऑडिट 5. भुगतान तंत्र 6. एपीओ की स्वीकृति 7. योजनाओं की स्वीकृति 8. राज्यों द्वारा अनुमोदित एपीओ की निगरानी और कार्यान्वयन	-	कार्यकारी समिति राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ साथ ही बढ़ते कार्यभार की मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को वित्तीय शक्तियां सौंपने के उपायों पर भी चर्चा हुई
डॉल्फिन परियोजना डब्ल्यूएल डिवीजन के माध्यम से प्रस्तुत की गई	भारत में नदी डॉल्फिन की व्यापक गणना	10.15	कार्यकारी समिति विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद डब्ल्यूएल डिवीजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ।
आईसीएफआरई द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए मरुस्थलीकरण सेल द्वारा भूमि क्षरण परियोजना प्रस्तुत की गई।	-		परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। प्रस्तावक को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
एफसी प्रभाग द्वारा प्रस्तुत झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और चाईबासा वन प्रभाग में प्रबंधन योजना सतत खनन (एमपीएसएम) के संशोधन के लिए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन	-	3.54	कार्यकारी समिति ने राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदन के लिए परियोजना की सिफारिश की। यह वांछित है कि आईसीएफआरई, आईआईएफएम, डब्ल्यूआईआई और राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्त पोशित किसी अन्य प्रमुख संस्थान द्वारा किए गए सभी अध्ययनों और परियोजनाओं की सांख्यिकी रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जानी चाहिए।

4.1.4 15वीं कार्यकारी समिति की बैठक सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से 20 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। **(परिव्यय रु. करोड़ में)**

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
हिमाचल प्रदेश का एपीओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	–	सैद्धांतिक मंजूरी इस शर्त पर दी गई थी कि विवरण की जांच के बाद मंजूरी पत्र जारी किया जाएगा
राजस्थान	वन्यजीव प्रबंधन	–	अतिरिक्त एपीओ प्रदान किया गया क्योंकि इसे राज्य कैम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था
वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजना	डब्ल्यूआईआई में राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र (NCWF) की स्थापना	–	सीएएफ अधिनियम 2016 की धारा 5(बी)(iii) के प्रावधानों के तहत शासी निकाय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी
पश्चिम बंगाल में परियोजना द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	संरक्षण योजना और प्रबंधन के लिए संभावित हाथी आंदोलन गलियारों के मौजूदा और मॉडलिंग के आकलन पर हाथी प्रभाग	–	कार्यक्रम प्रभाग को पहले मंत्रालय के अन्य प्रभागों द्वारा या राज्य सीएएमपीए निधियों के तहत सीएसएस के तहत जमा किए गए धन से आरई के समय अतिरिक्त बजट के आवंटन का पता लगाने का निर्देश दिया गया था।

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रस्तुत डब्ल्यूआईआई का प्रस्ताव	राष्ट्रव्यापी हाथी जनसंख्या अनुमान (जनगणना) 2022	–	सीएएफ अधिनियम 2016 की धारा 5 (बी) (iii) के प्रावधानों के तहत शासी निकाय की मंजूरी के लिए परियोजना की सिफारिश की गई थी
वेटलैंड प्रभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजना	भारतीय गणराज्य के वनस्पति उद्यान (बीजीआईआर), एमओईएफ एंड सीसी, नोएडा में आठ वन प्रकारों, 8 भौतिक–भौगोलिक क्षेत्रों और 21 विषयगत खंडों में वानिकी प्रजातियों सहित स्थानिक वृक्ष प्रजातियों के पूर्व–स्थाने संरक्षण और वृक्षारोपण का विकास।	–	प्रस्ताव को उसके वर्तमान स्वरूप में कार्यक्रम प्रभाग द्वारा वापस ले लिया गया था
मरुस्थलीकरण सेल द्वारा भूमि क्षरण परियोजना प्रस्तुत की गई	आईसीएफआरई, देहरादून में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	–	इस परियोजना को शासी निकाय की मंजूरी के लिए इस शर्त के साथ अनुशंसित किया गया था कि कार्यक्रम प्रभाग राज्यों सहित अन्य स्रोतों से क्षमता निर्माण आदि के लिए वित्त पोषण का पता लगाएगा।
भारत के वन सीमांत गांवों में लोगों की आजीविका में सुधार के लिए उपयोग के माध्यम से लैंटाना कैमरे के प्रबंधन पर परियोजना	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्य एपीओ में लैंटाना सहित खरपतवार हटाने के प्रस्ताव शामिल कर रहे हैं	–	प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।
स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना द्वारा गोवा के संरक्षित क्षेत्रों की जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव के अध्ययन पर गोवा द्वारा प्रस्तुत परियोजना	–	–	प्रस्ताव को शासी निकाय की मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया था
वन्यजीव विंग के तहत वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सहायता की सुविधा के लिए असम द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	–	–	विवरण की कमी के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया था

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
एनआईसीएसआई परियोजना के तहत आरओएचक्यू में 3 अतिरिक्त पदों की तैनाती	परिवेश के वन क्लीयरेंस मॉड्यूल का वार्षिक रखरखाव, वृद्धि और उन्नयन	–	परियोजना को शासी निकाय की मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया था
विभिन्न संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय निधि के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का अद्यतन	–	–	सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों/संगठनों को प्रगति रिपोर्ट से संबंधित पीपीटी जमा करने और यह पुष्टि करने के लिए कि संबंधित परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हो जाएंगी
राष्ट्रीय निधि की पंचवर्षीय योजना	वर्षवार वित्तीय योजना	–	इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण की वित्तीय योजना के लिए तैयार किया जाएगा

4.1.5 कार्यकारी समिति की 16वीं बैठक 10 मार्च 2022 को वन महानिदेशक और विशेष सचिवध्अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियोकांफ्रेंसिंग और व्यक्तिगत उपस्थिति के हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। **(करोड़ में)**

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
परिचालन की वार्षिक योजना का अनुमोदन	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	–	19 राज्यों/केंद्र शासित राज्यों के एपीओ पर चर्चा की गई और गतिविधियों को मंजूरी दी गई।
भारत में बाघों, सह–शिकारियों, शिकार और उनके आवास की जनसंख्या स्थिति का आकलन	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा प्रस्तुत	21.59	कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव को शासी निकाय की मंजूरी के लिए अनुशंसित किया
टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) का कार्यान्वयन		1.52	
राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए कार्यालय स्थान किराये पर लेना	कार्यालय स्थान की कमी के कारण राष्ट्रीय प्राधिकरण का सामान्य कामकाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।	0.36 प्रति माह किराया	कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पर गौर किया
राष्ट्रीय प्राधिकरण में मैनपावर की नियुक्ति	–	–	शासी निकाय ने पहले ही राष्ट्रीय प्राधिकरण (2019) के लिए आवश्यक मैनपावर को मंजूरी दे दी है

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और राष्ट्रीय निगरानी और मूल्यांकन सेल (एनएमईसी) की स्थापना	–	–	विस्तृत विचार–विमर्श के बाद कार्यकारी समिति इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया।
वन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना का कोई लागत विस्तार नहीं	–	8.61	कार्यकारी समिति ने 3 महीने के विस्तार को मंजूरी दी
सिक्किम हिमालय में विकास स्थलों पर पादप–सामाजिक विशेषताओं और संकेतक जैव विविधता घटकों के संदर्भ में हस्तक्षेप द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण	रजिस्ट्रार, सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत 3 साल की अवधि के लिए एक पायलट अध्ययन	1.57	इस परियोजना पर विचार नहीं किया गया क्योंकि इसे सिक्किम राज्य के राज्य कैम्पा के माध्यम से नहीं भेजा गया था
कर्नाटक में चंदन और रोजवुड संपदा के विकास और चंदन भंडार के प्रबंधन पर परियोजना प्रस्ताव	कर्नाटक वन विभाग की अनुसंधान और प्रादेशिक शाखा कार्यान्वयन एजेंसी होगी	25.65	कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव के उद्देश्यों को वनों के बाहर वृक्षों (टीओएफ) को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी बताया। ईसी ने शासी निकाय की मंजूरी के लिए परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश की
अरुणाचल प्रदेश राज्य में झूम भूमि का पुनर्वास	–	65.32	परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी
वाटरशेड विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव		516.68	
सोहरा, मेघालय में वर्षा संग्रहालय का प्रस्ताव	–	119	
दीमापुर में सामुदायिक रिजर्व के लिए उत्कृष्टता केंद्र	–	19.02	
कर्नाटक में भविष्य की अनुसंधान गतिविधियों का उन्नयन और वित्तपोषण	–	171	
ताडोबा–अंधारी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र से स्वैच्छिक स्थानांतरण	–	–	कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
मौजूदा ई–ग्रीन वॉच पोर्टल का पुनरुद्धार और ई–ग्रीन वॉच का रखरखाव उप महानिदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एनआईसी) द्वारा प्रस्तुत किया गया।		–	प्रस्ताव पर चर्चा हुई और मंजूरी नहीं मिली। कैम्पा गतिविधियों को परिवेश परियोजना का हिस्सा बनाने की सिफारिश की गई थी।
छत्तीसगढ़ राज्य प्राधिकरण द्वारा लीडार तकनीक का उपयोग करके वाटरशेड विकास कार्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	–	–	इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय कैम्पा निधि से मंजूरी नहीं दी गई थी।
लीडार सर्वेक्षण के साथ डीपीआर तैयार करने पर परियोजना का कार्यान्वयन।	प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वन क्षेत्र में एक पायलट वाटरशेड	–	कार्यकारी समिति ने परियोजना के विवरण पर विचार–विमर्श किया और वन जलग्रहण क्षेत्रों के अंदर मिट्टी और नमी में सुधार के लिए डीपीआर तैयार करने में लीडार तकनीक के उपयोग पर संतोष व्यक्त किया।
नगरवन योजना (एनवीवाई) और स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई) का कार्यान्वयन और सुव्यवस्थितकरण	–	–	प्रस्ताव को बिना किसी सलाहकार की नियुक्ति और निगरानी के अतिरिक्त खर्च के मंजूरी दे दी गई।
वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और परिवेश पोर्टल के हैंड होल्डिंग समर्थन के लिए परियोजना प्रस्ताव	–	–	परियोजना प्रस्ताव पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन है, कार्यकारी समिति ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

4.2 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कैम्पा गतिविधियों की समीक्षा बैठकें

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कैंपा प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा के लिए 29 अक्टूबर, 2021 को पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

कार्यसूची	उद्देश्य	फैसले
कैम्पा निधि के अंतर्गत किये गये सीए एवं अन्य कार्यों की अद्यतन प्रगति	कुल लंबित सीए 125012.15 हेक्टेयर था। मार्च 2021 तक कुल उपलब्धि 88.24% रही।	शेष 11.76% को अगले दो वर्षों में सकारात्मक रूप से पूरा करने का अनुरोध किया गया।
अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले एपीओ में प्राथमिकता वाले क्षेत्र/कार्रवाई बिंदु, गतिविधियों को प्रस्तुत करने का प्रारूप आदि शामिल हैं।	–	राज्य प्राधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2021 तक अपने एपीओ प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया।
राज्य कैम्पा की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति	–	लंबित राज्य प्राधिकरणों को अपने राज्य विधानसभाओं में रिपोर्ट और ऑडिट प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्य करने के लिए कहा गया था
राज्य में सभी कार्यों की मॉनिटरिंग एवं उसकी रिपोर्ट अपलोड करने की स्थिति	ई–ग्रीन वॉच में बहुभुज और समय श्रृंखला की तस्वीरें अपलोड करना	एफएसआई से सक्रिय भूमिका निभाने और एनआईसी के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया जाएगा
राज्य प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सहायता की सुविधा के संबंध में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्रस्तुत करना	राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण से वित्तीय सहायता मांग रहे हैं।	प्रस्ताव का प्रारूप उचित समय पर प्रसारित किया जाएगा
कैम्पा के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर का नमूना अध्ययन	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए 3 एजेंसियों की पहचान की गई	आईसीएफआरई ने विस्तृत वित्तीय ब्यौरे के साथ एमओई को प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की है
2020–21 तक वर्षवार व्यय	राज्य प्राधिकारियों को आंकड़ों को प्रमाणित/अद्यतन करने के लिए कहा गया था	समिति के समक्ष अद्यतन सूची रखी गयी
चालू वर्ष में प्रगति (भौतिक और वित्तीय दोनों)	राज्य प्राधिकारियों को चालू वर्ष में प्रगति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था	वांछित सूचना का प्रारूप राज्य प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया गया

***

अग्नि निवारण, झरसुगुडा, वन मंडल, ओडिशा

पेट्रोलिंग, राजनगर, ओडिशा

वन अग्नि के प्रबंधन और उससे निपटने के लिये माक ड्रिल और प्रशिक्षण
बालासोर वन मंडल, ओडिशा

नर्सरी, मध्य प्रदेश

वृक्षारोपण, मध्य प्रदेश

वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय कैम्पा के खाते और लेखा परीक्षा

अध्याय 5

2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक खाते जुलाई 2022 में सीएजी द्वारा एक साथ तैयार और ऑडिट किए गए थे। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण था। यह भारत के सीएजी द्वारा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए जारी किया गया। ऐसा मुख्य रूप से प्राधिकरण द्वारा कॉर्पस/पूंजीगत निधि–अनुसूची–I और जमा–अनुसूची–11 के शुरूआती/समापन शेष से संबंधित उचित रिकॉर्ड के गैर–प्रस्तुतिकरण/गैर–रखरखाव और खातों के रिकंसीलेशन न होने के कारण किया गया था।

राष्ट्रीय कैम्पा कार्यालय ने सीएजी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और 2022–23 के वार्षिक खातों के ऑडिट के दौरान सीएजी ऑडिट टीम के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। ऑडिट के बाद, सीएजी ने अपनी राय व्यक्त की कि वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण में, जबकि इन मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया गया है, इस एसएआर में रिकंसीलेशन और प्रारंभिक/समापन शेष की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी की गई है। समापन टिप्पणियों में, यह बताया गया कि ''वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं''।

SANJAY KUMAR JHA
DIRECTOR GENERAL

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

D.O. No. DGA/ESD/EA/SAR/CAMPA/2021-22/474
Dated: 04 NOV 2022

Dear Shri Chandra,

We have audited the annual accounts of the National Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority for the year 2021-22 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated ...4.11.2022.... During the course of audit, some deficiencies were noticed as per Annexure-A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the Audit Report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With warm regards.

Yours sincerely,

Encl.: As above.

Sh. Subhash Chandra,
C.E.O.,
National CAMPA,
Indira Paryavaran Bhawan
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Jor Bagh,
Delhi – 110003

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फैक्स / Fax : +91-11-23702353

क. 31.03.2022 को बैलेंस शीट

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कॉर्पस/पूंजी निधि 5,90,741.37 लाख रुपये है। वर्तमान देनदारियां और प्रावधान रु. 11,14,969.38 लाख है। कुल कॉर्पस/पूंजी निधि और देनदारियां रु. 17,05,710.75 लाख है। वर्तमान संपत्ति, भार, अग्रिम आदि की राशि रु. 17,05,701.12 लाख और वर्ष 2021–22 के लिए अचल संपत्ति 9.63 लाख है, कुल संपत्ति मूल्य 17,05,710.75 लाख है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

BALANCE SHEET AS AT 31st March 2022

(Amount in Lacs)

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	₹ 5,90,741.37	₹ 5,76,439.06
RESERVES AND SURPLUS	2	₹ -	₹ -
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	₹ -	₹ -
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	₹ -	₹ -
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	₹ -	₹ -
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	₹ -	₹ -
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	₹ 11,14,969.38	₹ 9,91,275.63
TOTAL		₹ 17,05,710.75	₹ 15,67,714.69
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	₹ 9.63	₹ 2.74
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	₹ -	₹ -
INVESTMENTS - OTHERS	10	₹ -	₹ -
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	₹ 17,05,701.12	₹ 15,67,711.95
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		₹ -	₹ -
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		₹ 17,05,710.75	₹ 15,67,714.69
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority

(JAIPAL)
Consultant Audit

SUBHASH CHANDRA
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
Min. of Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India, New Delhi

ख. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कॉर्पस/पूंजी निधि 5,90,741.37 लाख रुपये है। वर्तमान देनदारियां और प्रावधान 11,14,969.38 लाख रुपये हैं। कुल कॉर्पस/पूंजी निधि और देनदारियां 17,05,710.75 लाख रुपये हैं।

वर्तमान संपत्ति, भार, अग्रिम आदि की राशि 17,05,701.12 लाख रुपये है और वर्ष 2021–22 के लिए अचल संपत्ति रू 9.63 लाख है, कुल संपत्ति मूल्य 17,05,710.75 लाख रुपये है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

(Amount in Lacs)

INCOME	SCHEDULE	Current year	Previous year
Income from Sales/Services	12	₹ -	₹ -
Grants/Subsidies	13	₹ -	₹ -
Fees/Subscriptions	14	₹ -	₹ -
Income from Investments (Income on Invcsl. from earmarked/endow. Funds transferred 10 Funds)	15	₹ -	₹ -
Income from Royalty. Publication etc.	16	₹ -	₹ -
Interest Earned	17	₹ 51.87	₹ 49.59
Other Incomce	18	₹ 31,632.22	₹ 6,909.78
Increasce(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	₹ -	₹ -
TOTAL(A)		**₹ 31,684.09**	**₹ 6,959.37**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	₹ 89.08	₹ 31.33
Other Administrative Expenses etc.	21	₹ 642.09	₹ 30.96
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	₹ 16,648.42	₹ 8,868.23
Interest	23	₹ -	₹ -
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		₹ 2.20	₹ 0.45
TOTAL(B)		**₹ 17,381.79**	**₹ 8,930.97**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		₹ 14,302.30	₹ -1,971.60
Transfer to Special Reserve (Specify each)Transfer to/ from General Reserve		₹ -	₹ -
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		**₹ 14,302.30**	**₹ -1,971.60**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority
सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority
PREM KUMAR JHA, IFS
Inspector General of Forests
NAEB, MoEF&CC
Room No.710, Pt. Deendayal
Antyodaya Bhawan, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi

(JAIPAL)
Consultant Audit

ग. 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय CAMPA निधि के तहत प्राप्त कुल प्राप्तियां 20,07,777.79 लाख रुपये हैं, जबकि व्यय के लिए भुगतान, विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन के विरुद्ध भुगतान, निवेश और जमा, अचल संपत्तियों पर व्यय और प्रगति पर पूंजीगत कार्य, रिफंड पर अधिशेष धन/ऋण, वित्त शुल्क और अन्य भुगतान राशि 20,07,777.79 लाख रुपये है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
RECEIPT AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

(Amount in Lacs)

RECEIPT	Current Year		PAYMENTS	Current Year	
I. Opening Balances		₹ 1,567,711.95	I. EXPENSES		₹ 729.17
a) Cash in Hand	₹ -		a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	₹ 89.08	
b) Bank balances			b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	₹ 640.09	
i) In Current accounts	₹ -				
ii) In deposit accounts	₹ -				
iii) In savings accounts	₹ 1,567,711.95		II. Payments Made Against Funds For Various Projects		₹ 16,648.42
			(Name of the Fund Should be Shown along with the particular of Payments made for each Projects)	₹ 16,648.42	
II. Grants Received		₹ -	III. Investments And Deposit Made		₹ -
a) From Goverment of India	₹ -		a) Out Of Earmarked/Endowment Funds	₹ -	
b) From State Goverments	₹ -		b) Out of Own Funds (Investment-Others)	₹ -	
c) From Others Sources (details)	₹ -				
(Grants for Capital & revenue Exp to be shown separately)	₹ -		IV. Expenditure On Fixed Assets & Capital Work-In-Progress		₹ 9.09
III. Income On Investments from			a) Purchase Of Fixed Assets	₹ 9.09	
a) Earmarked Endow Funds	₹ -		b) Expendituere On Capital Work-In-Progress	₹ -	
b) Own Funds (Oth Investment)	₹ -		V. Refund of Surplus Money/Loans		₹ -
IV. Interest Received		₹ 51.87	a) To the Government of India	₹ -	
a) On Bank Deposit	₹ 51.87		b) To the State Governments	₹ -	
b) Loans, Advances etc.	₹ -		c) To other Provider of Funds	₹ -	
V. Other Income (Specify)		₹ -	VI. Finance Charge (Interest)		
a) NCAC/NA Fund	₹ -		VII. Other Payments (Specify)		₹ 284,690.00
VI. Amount Borrowed	₹ -	₹ -	a) Funds Sanctioned/Release to states	₹ 284,690.00	
VII. Any Other Receipt (Give details)		₹ 440,013.97	VIII. Closing Balance		₹ 1,705,701.11
a) Amount deposited by States to National Authority	₹ 440,013.97		a) Cash in Hand	₹ -	
			b) Bank balances	₹ -	
			i) In Current accounts	₹ -	
			ii) In deposit accounts	₹ 1,705,701.11	
			iii) In savings accounts		
TOTAL		₹ 2,007,777.79	TOTAL		₹ 2,007,777.79

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority

(JAIPAL)
Consultant Audit

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अपर वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

PREM KUMAR JHA, IFS
Inspector General of Forests
NAEB, MoEF&CC
Room No.710, Pt. Deendayal
Antyodaya Bhawan, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, New Delhi for the year 2021-22

We have audited the attached Balance Sheet of **Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)** as at 31 March 2022 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

(2) This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

(3) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(4) Based on our audit, we report that:

i. We were **not provided all the information and explanations as detailed in Para 'A'**, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up as per format of Financial Statements (format)

iii. In our opinion proper books of accounts and other relevant records have not been maintained by the Authority in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Non furnishing/availability of important records/information

National CAMPA did not furnish the following important information/records:

1.1 As per Rule 33 of the Compensatory Afforestation Fund Rules 2018, details of Monthly and Annual statement of accounts was to be maintained in Form II and Form III respectively by the National CAMPA. National CAMPA replied (August 2022) that the Statements in Form-II/III is not being prepared.

1.2 National CAMPA had 41 bank accounts during 2021-22 viz. 37 State/Union Territory wise bank accounts, two NCAC (Ad-hoc Authority) accounts, one main bank account and one Union Bank of India account. National CAMPA, however, did not prepare Bank Reconciliation Statements for these accounts for the year 2021-22.

1.3 National CAMPA released grants-in-aid of Rs.16648.42 lakh during 2021-22. However, it did not furnish the Utilization Certificates and position of outstanding Utilization Certificates in respect to grants released to the Grantee institutions.

1.4 National CAMPA did not furnish Receipt and Payment vouchers for the year 2021-22 sought (August 2022) by Audit. National CAMPA replied (August 2022) that such records are not maintained in National CAMPA.

1.5 Cash Book, Public Fund Accounts Register, Stock Register, Registers showing expenditure by Heads of Accounts, Monthly financial statement of accounts and Physical output, Quarterly Monitoring Register, Register for Annual Share of National Fund from the State Fund (State wise), Register of grants/Loans and Details of amounts received from and remitted to states/UTs duly reconciled were not furnished to Audit. National CAMPA stated (August 2022) that no such records are being maintained.

B. BALANCE SHEET

1. Assets

1.1 Current Assets, Loans, Advances etc. (Schedule-11) Rs.1705701.12 lakh

1.1.1 National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (National CAMPA) did not include the consolidated balance of Rs.501197.01 lakh as at 31 March 2022 lying in its 37 state-wise bank accounts in Schedule-11 to its Balance Sheet which resulted in understatement of its Current Assets by Rs. 501197.01 lakh.

The closing balance of Receipt and Payment Account as on 31 March 2022 was thus also understated by Rs. 501197.01 lakh.

1.1.2 National CAMPA did not include the balance of Rs.8.43 lakh lying in its NCAC bank account (No.520101263735199) as at 31 March 2022 in Schedule-11 to its Balance Sheet which resulted in understatement of its Current Assets by Rs.8.43 lakh.

The closing balance of Receipt and Payment Account as on 31 March 2022 was thus also understated by Rs. 8.43 lakh.

1.1.3 National CAMPA had a balance of Rs.57087.71 lakh in its Main bank account No.520141001596663 (including the flexi fixed deposits created under it) as at 31 March 2022 but depicted the same as Rs.0.01 lakh in Schedule-11 to its Balance Sheet which resulted in understatement of its Current Assets by Rs. 57087.70 lakh.

The closing balance of Receipt and Payment Account as on 31 March 2022 was thus also understated by Rs. 57087.70 lakh.

1.1.4 National Authortiy in Schedule-11 depicted Rs.1704671.48 lakh as closing balance of CAMPA fund lying in Bharat Kosh/Public Account of India as on 31 March 2022. However, as per Statement No.13 of Union Government Finance Accounts for the year 2021-22 the sum of closing balances under the heads of account '8121.00.128-National Compensatory Afforestation Fund' and '8336.00.102-National Compensatory Afforestation Deposits' was Rs. 1850674.06 lakh. Thus, Current Asset was understated by Rs.146002.58 lakh.

Closing balance of Receipt and Payment Account as on 31 March 2022 was thus also understated by Rs.146002.58 lakh.

1.1.5 National CAMPA incurred expenditure of Rs.9.09 lakh under the head 'Office Expenses' for procurement of Fixed Assets during 2021-22 and deducted the amount twice from the opening balance of CAMPA fund lying in Bharat Kosh/Public Account of India as on 1 April 2021. This resulted in understatement of its Current Assets by Rs.9.09 lakh.

Closing balance of Receipt and Payment Account as on 31 March 2022 was thus also understated by Rs.9.09 lakh.

2. Liabilities

2.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-7) Rs.1114969.38 lakh

2.1.1 National CAMPA depicted an amount of Rs.440013.97 lakh under 'Amount received from states' during 2021-22 in Schedule-7 and Schedule-11 to its Balance Sheet whereas as per Statement No.13 of Union Government Finance Accounts for the year 2021-22 total receipt under the head '8336.00.102-National Compensatory Afforestation Deposits' was Rs.425436.32 lakh. This difference may be reconciled under intimation to Audit.

2.1.2 National CAMPA did not depict CAMPA funds worth Rs. 559322.78 lakh lying in its 41 bank accounts as on 31 March 2022 under its Liabilities, which was transferrable to the Public Account of India head '8336.00.102-National Compensatory Afforestation Deposits' for further disbursement to States/UTs.

2.1.3 National CAMPA, in Schedule-7, depicted Rs.31632.12 lakh as transfer of its CAMPA fund share to National Fund during 2021-22, *in lieu of* release of funds to 13 States/UTs. This was depicted as reduction of its Current Liabilities in Schedule-7. However, it understated the figures in the following two cases.

Sl. No.	In lieu of transfer to State/UT	Date of sanction	Actual amount sanctioned for transfer (Rs. in lakh)	Amount depicted as transferred (Rs. in lakh)	Amount understated (Rs. in lakh)
1.	Dadra and Nagar Haveli	29.11.2021	233.61	230	3.61
2.	Delhi	07.10.2021	1647.70	1429	218.70
					222.31

This resulted in overstatement of its Current Liabilities as well as Current Assets by Rs.222.31 lakh. This difference may be reconciled under intimation to Audit.

C. INCOME AND EXPENDITURE ACCCOUNT

1. Income

1.1 Interest Earned (Schedule-17) Rs.51.87 lakh

1.1.1 National CAMPA depicted interest earned Rs.51.87 lakh during 2021-22 from its NCAC flexi plus savings bank account (No.520141001596760), which is transferable to Public Account of India, as its income in Schedule-17 which resulted in overstatement of its income by Rs.51.87 lakh.

1.2 Other Income (Schedule-18) Rs.31632.12 lakh

1.2.1 National CAMPA in Schedule-18 depicted an income of Rs.31632.12 lakh in National Fund during 2021-22. However, as per Statement No.13 of Union Government Finance Accounts for the year 2021-22 total receipt under the head '8121.00.128-National Compensatory Afforestation Fund' was Rs.57964.23 lakh. Thus, the National CAMPA understated its income by Rs. 26332.01 lakh.

D. GRANTS-IN-AID

National CAMPA did not receive any Grant-in-aid during 2021-22.

During 2021-22, National CAMPA was provided a budget of Rs.26165 lakh under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of Rs.17377.59 lakh.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of CEO, National CAMPA through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

F. Opinion

In view of the information not furnished by the CAMPA as stated in the paragraph **'A'**, we are unable to form an opinion that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts. The important comments noticed during audit are stated in paragraphs **B to D** and other matters are stated in the Annexure-I.

Place: New Delhi

Date: 4/11/22

For and on behalf of the C&AG of India

Director General of Audit

(Environment & Scientific Departments)

घ. सीएजी की अलग ऑडिट रिपोर्ट 18 दिसंबर, 2023

2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक खाते जुलाई 2022 में सीएजी द्वारा एक साथ तैयार और ऑडिट किए गए थे। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण था। यह भारत के सीएजी द्वारा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए जारी किया गया। ऐसा मुख्य रूप से प्राधिकरण द्वारा कॉर्पस/पूंजीगत निधि–अनुसूची–I और जमा–अनुसूची–11 के शुरूआती/समापन शेष से संबंधित उचित रिकॉर्ड के गैर–प्रस्तुतिकरणध्गैर–रखरखाव और खातों के रिकंसीलेशन न होने के कारण किया गया था।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110002

NO: DGA/ESD/EA/SAR/CAMPA/2022-23/ 194 दिनांक: 18 DEC 2023

सेवा में

Member Secretary,
Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA,
Indira Paryavaran Bhawan
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Jor Bagh, Delhi – 110003

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi for the year 2022-23**

महोदय

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेसोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज़ जो संसद में प्रस्तुत किया जाए, उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय एवं दो प्रतियां भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाएं। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्याल को सूचित की जाएं।

भवदीया

Seabl

उप निदेशक(पर्यावरण)

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Separate Audit Report on the Audit of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority for the year ended 31st March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of **National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (National Authority)** as at 31 March 2023 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

(2) This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

(3) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(4) Based on our audit, we report that:

i. We were obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority, except for the issues mentioned below, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A disclaimer of opinion on the financial statements of Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA) was issued by the C&AG of India for the years 2018-19 to 2021-22, primarily due to non-production/non maintenance of proper records relating to opening/closing balances of 'Corpus/Capital Fund- Schedule 1 and Deposit-Schedule 11' by the Authority and non-reconciliation of accounts. In the financial statement for the year 2022-23, while these issues are largely resolved, the issues regarding reconciliation and the reliability of opening/closing balances that persist have been commented in this SAR.

(A) BALANCE SHEET

A. Balance Sheet

1. Liabilities

1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): Rs.2331644.38 lakh

1.1.1 Overstatement of current liabilities

Under Schedule 7-Current Liabilities an amount of Rs 6030.16 lakh has been shown under head "statutory liabilities-others (interest on State Deposits 8336). However, this includes interest amounting to Rs 3139.42 lakh for the period 2018-19 to 2021-22. This had resulted in overstatement of current liabilities and understatement of prior period income both by Rs 3139.42 lakh.

1.1.2 Corpus/Capital Account

National Authority CAMPA had depicted an opening balance amounting to Rs 116.57 crore in the annual accounts for the year 2018-19, the amount having been transferred from the ad-hoc CAMPA. Due to non-availability of basic records, audit was unable to verify the same. However, audit has relied on the audited financial statements Adhoc CAMPA for the year 2017-18 as certified by the statutory auditor i.e. M/s AVA & Associates Chartered Accounts.

B. Income and Expenditure Account

1. Income Rs.92421.40 lakh

1.1 Income from Investment (Schedule-15) Rs. 59830.95 lakh

1.1.1 Overstatement of Income

Income of Rs. 59830.95 lakh shown as income towards 'Income from Investment' received on closure of FD included an amount of Rs. 57087.70 lakh kept under flexi-deposits in the bank account at the beginning of the financial year. This had resulted in overstatement of income besides understatement of prior period income by Rs. 57087.70 lakh.

2. Expenditure Rs. 24359.47 lakh

2.1 Establishment Expenses (Schedule-20): Rs. 81.45 lakh

2.1.1 Overstatement of Expenditure

(i) National Authority had made payment of Rs.6.43 lakh pertaining to March 2022 (financial year 2021-22) to its contractual staff in April 2022 (financial year 2022-23). Similarly, an expenditure of Rs.1.64 lakh towards "Other Administrative Expenses" (hiring of vehicles) pertaining to the prior period has been booked in the financial year 2022-23. This had resulted in overstatement of Expenditure besides understatement of Prior-period Expenses both by Rs. 8.07 lakh (6.43 lakh + Rs 1.64 lakh).

2.1.2 Understatement of Expenditure

(i) National Authority had made payments of Rs.10.25 lakh during the financial year 2023-24 towards payment to contractual staff & consultants etc. for previous years. However, no provisioning for expenses payable during 2022-23 has been made in account. This had resulted in understatement of expenditure and current liabilities during 2022-23 both by Rs 10.25 lakh.

C. General

1. Improper accounting of State Deposits as liabilities of National Authority

The Compensatory Afforestation Fund Act 2016 provided for establishment of funds (viz. National CAMPA Fund and respective State CAMPA Funds) under the Public Account of India and Public Account of each State crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act 1980.

As per the accounting procedure prescribed under para 3 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, all the monies collected by State Governments and Union Territory Administrations placed under the ad-hoc Authority and deposited in the nationalized bank needs to be transferred to the interest-bearing section of the Public Account of India under 'National Compensatory Afforestation Deposits' for each State and Union territory. Each State or Union Territory should be a separate sub-head divided into detailed head for various activities viz. Compensatory Afforestation, Additional Compensatory Afforestation, Penal Compensatory Afforestation, Net Present Value and Protected Areas etc. While remitting the money to the GOI, the ad-hoc Authority should provide detailed state-wise break-up and make one-time transfer of 10 percent share of Central Govt. to the National Fund. Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.

However, the annual accounts of the National Authority for the year 2022-23 revealed that no disclosure of State-wise balances was made in the accounts in respect of the 'National Compensatory Afforestation Deposits' indicating activity-wise details of the money held against each such state. Moreover, the amount transferred in the Public Account of India for various States/Union Territory from the ad-hoc authority still held under 'National Compensatory Afforestation Deposits' was yet to be disbursed completely to the respective States and Union Territories.

Hence, the state-wise/activity-wise bifurcation of the liabilities of Rs. 23,316.40 crore shown towards 'State Deposits & Interest thereon' under Schedule–7 "Current Liabilities" was not disclosed in the accounts besides continuous addition therein in violation of the approved/ notified accounting procedure.

2. Improper flow of CAMPA Funds to Union Public Account instead of respective State Funds

As per the accounting procedure rules, the monies received by the State Governments from user agencies needs to be credited in 'State Compensatory Afforestation Deposits', out of which 90 percent was to be transferred to the SCAF and 10 percent in the National Fund. However, the User Agencies were found violating the above procedure by depositing these receipts in the bank accounts, for respective states, controlled by the National Authority for onward transfer to the Public Account of GOI for further distribution instead of directly remitting these funds to the 'State Compensatory Afforestation Deposits'.
In reply, the Authority stated (October 2023) that the existing practice of collecting the compensatory levies by the National CAMPA through PARIVESH portal continued in view of larger public interest.

3. Non-reconciliation of the balances of National/State Deposits with Public Account

As per the accounting procedure prescribed under para 7 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, the Pay and Accounts Office, MoEF&CC has to maintain a broadsheet of receipts and payments from the National Fund and effect reconciliation on monthly basis with the National Authority. However, no reconciliation from the broadsheets of receipt and payments of PAO was made to ascertain the reasons for differences in the balance shown in the Annual Accounts (National Authority) and Public Account as per Finance Accounts related to MoEF&CC during the period from 2018-19 to 2022-23 leading to variation of Rs. 864.56 crore (i.e. excess amount shown by National Authority for 'National Fund & State Deposits' not reflected in the Public Account) in the year 2022-23. Hence, immediate reconciliation of balances needs to be carried out with reference to the broadsheets of Receipts and Payments against each State, as maintained by the P&AO-MoEF&CC, to ascertain the correctness of balances depicted in National Fund as well as State Deposits (Schedule 11).(As per Annexure Attached)

4(a). Improper disclosure on non-establishment of State/UT Compensatory Afforestation Funds and amount held thereagainst with National Authority

Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.(PG 21,23) Though the State/UT Authorities were notified for 33 States/UTs from October 2018 to September 2020, no disclosure related to the status of funds held against remaining 3-4 UTs/States[1] yet to be established/notified was made in the accounts. Further, the information related to Funds held in Public Account against deposits related to each State/UTs was not found disclosed.

[1]**UTs:** Information related to Dadar & Nagar Haveli and Daman Diu was yet to be compiled, Lakshadweep & Puducherry; **State:** Nagaland, not notified.

4(b). Subsequent to the initial transfer of funds lying in the ad-hoc CAMPA (along with State wise break-up), National Authority CAMPA has been receiving deposits from the user agencies and making disbursements to States CAMPA. The position of reconciliation of balances between States/UTs and National Authority, CAMPA was test checked and the current position of reconciliation is as follows.

Sl. No.	Total No of states/UTs	No of states/UTs	Status
1	36	13	Reconciliation upto 31.3.2022
2	36*	20	Reconciliation upto 31.3.2023

* No fund in r/o 3 States/UTs

Out of total funds deposited with National Authority amounting to Rs 16850.82 crore, an amount of Rs 15893.14 crore has been reconciled and the remaining amount of Rs 957.68 crore stands unreconciled.

5. The 'Establishment Expenses" of Rs. 81.45 lakh under Schedule–20 related to Income & Expenditure Account included "Administrative Expenses" of Rs. 40.30 lakh incurred on account of payments made towards contractual personnel which resulted in misclassification of the administrative expenses as establishment expenditure.

6. National Authority had refunded an amount of Rs 2.94 crore received on A/c of 10% share from Odisha. The same has been depicted under schedule 23-Interest-others-refund to State from National Fund 10%), since it is not part of interest, it has to be depicted in schedule 22– Expenditure on Grants, Subsidies etc.

7. National Authority had received an amount of Rs 270.11 crore as interest on deposits of funds in public accounts, however the same has been shown under Schedule–17–Interest Earned against "saving accounts with scheduled bank" instead of "GOI-Public Accounts".

8. In its accounts National Authority had shown receipt during the year as Rs 32590.44 lakh whereas as PAO had shown the same as Rs 32738.93 lakh. This had resulted in difference of Rs 148.49 lakh. The same may be reconciled under intimation to audit.

9. National Authority in its accounts under schedule 11 - Bank Balance – on deposit accounts (States) as Rs 1420.23 crore and on Bharatkosh Accounts (State Deposits) Rs 21896.22 crore whereas bank balance on deposit accounts (States) as on 31.03.23 was Rs 1879.07 crore. This had resulted in misclassification of Rs 458.84 crore in both the above stated heads.

D. GRANTS-IN-AID

National Authority did not receive any Grant-in-aid during 2022-23.

According to Section 5 of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016, all non-recurring and recurring expenditure for the management of the National Authority, monitoring and evaluation of works executed by the National Authority and each State Authority and funds released on specific schemes approved by governing body of the National Authority should be incurred from the National Fund.

According to Paragraph 2(7) read with Paragraph 4 and 5 of Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018, all expenditures of the National Authority shall be provided for under the Detailed Demand for Grants of MoEFCC under the head '2406.04.102.01-National Authority'. The amount spent by the National Authority shall be adjusted by PAO, MoEFCC as Deduct Recoveries from the National Fund under the Public Account of India.

During 2022-23, National Authority was provided a budget of Rs.250.00 crore under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of Rs.243.59 crore.

(E) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the CEO, National Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated as well as other matters mentioned in *Annexure* to this Audit Report, except for the issues stated in the preceding paragraphs, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National CAMPA, as at 31st March 2023 and

b. In as far as it related to Income & Expenditure Accounts, of the ***surplus*** for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 18/12/23

Director General of Audit (E&SD)

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

The National Authority is audited by the Internal Audit Wing of MoEFCC. Internal Audit of National Authority has been conducted up to March 2021. Thus, the internal audit of the National Authority was not conducted for the period 2021-23.

2. Adequacy of Internal Control System

2.1 PBR has not maintained by the National Authority.

2.2 Non-marking of identification marks on fixed items: For proper accounting, inventorization, physical verification, location, write off/auction etc., identification marks on each fixed item is a necessary requirement. However, it has been observed that identification marks are missing. The same may be written on every fixed item.

2.3 The National Authority has procured various items such as conference bags and other stationary items etc. but entries of the same were not been made in the consumable stock register.

3. System of physical verification of fixed assets

The Authority has conducted the Physical Verification of fixed assets for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of fixed assets since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

4. System of physical verification of inventory

The Authority has conducted the Physical Verification of consumables for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of inventories since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the Annual Accounts and information furnished by the National Authority, no statutory dues were outstanding over six months as on 31.03.2023.

Sd/-

Deputy Director
(Environment Audit)

***

मृदा बाँध, केंओझार, ओडिशा

मृदा जल संरक्षण, ओडिशा

संरक्षण दीवार, ओडिशा

जल दोहन, ओडिशा

राष्ट्रीय कैम्पा निधि 2021-22 के अंतर्गत योजनाएँ

अध्याय 6

राष्ट्रीय प्रधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा निधि से वित्त पोषित योजनाओं / परियोजनाऐं निम्नलिखित तालिका में दशाई गई हैं:

अवधि वर्ष करोड़ रुपये में, लागत करोड़ रुपये में

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	परियोजना की लागत	क्रियान्वयन एजेंसी	आरंभ वर्ष	जारी की गई कुल निधि
1	एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण पर यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी)।	3	18.66	डब्ल्यूआईआई	2018–19	15.01
2	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (ईएसआरपी) डब्ल्यूआईआई देहरादून					
क.	भारत में डुगोंगों और उनके आवासों की पुनर्प्राप्ति–ईएसआरपी	5	23.58	डब्ल्यूआईआई	2015–16	13.05
ख.	गंगा नदी डॉल्फिन के लिए संरक्षण योजना का विकास	5	23	डब्ल्यूआईआई	2015–16	13.8
ग.	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड–ईएसआरपी का आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन	5	33.85	डब्ल्यूआईआई	2015–16	23.04
घ.	मणिपुर के ब्रो एंटलर्ड हिरण (संगाई) का संरक्षण–ईएसआरपी	5	19.95	डब्ल्यूआईआई	2015–16	7.714
3	परिवेश–एनआईसीएसआई 2016–17 के वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और हैंडहोल्डिंग समर्थन के लिए परियोजना प्रस्ताव	चल रही योजना	5.96	एनआई सीएसआ. ई	2017–18	5.96

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	परियोजना की लागत	क्रियान्वयन एजेंसी	आरंभ वर्ष	जारी की गई कुल निधि
4	निगरानी और वन संसाधन मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक एफएसआई सेल की स्थापना करना।	1	4.33	एफएसआई	2019–20	2.56
5	प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वन क्षेत्र में एक पायलट वाटरशेड के लिए लीडार सर्वेक्षण के साथ डीपीआर तैयार करना	0.9	18.38	वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (WAPCOS)	2020–21	11.22
6	नगर वन योजना	5	415.00	एसएफडीए	2020–21	151.39
7	स्कूल नर्सरी योजना	5	49.5	एसएफडीए	2020–21	5.77
8	परिवेश 2.0 वर्चुअस एनवायर्नमेंटल सिंगल विंडो हब द्वारा प्रो एक्टिव और रिस्पॉन्सिव सुविधा, जो पर्यावरण, वन, वन्य जीवन और सीआरजेड क्लीयरेंस प्रक्रिया के लिए एकल विंडो एकीकृत प्रणाली है।	5	95.59	प्रभाव आकलन प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2021–22	10.53
9.	रिट याचिका (सिविल) संख्या 109/2008 वन्यजीव प्रथम और अन्य बनाम वन और पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अस्वीकृत दावों की अतिक्रमण स्थिति का उपग्रह सर्वेक्षण।	6	48	एफएसआई	2021–22	5.66
10	भारत में नदी डॉल्फिन आबादी की विस्तृत गणना	1	10.15	डब्ल्यूआईआई	2021–22	6.09
11	भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की "एकीकृत वन्यजीव आवास विकास" (IDWH) योजना के अंतर्गत शामिल लुप्तप्राय प्रज. ातियों का अखिल भारतीय मूल्यांकन और निगरानी	2	19.05	आईसीएफआरई	2021–22	11.43

वृक्षारोपड़, ओडिशा

वृक्षारोपड़, ओडिशा

वृक्षारोपड़, मध्य प्रदेश

2021-22 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ

अध्याय 7

7.1 राष्ट्रीय कैम्पा से राज्य कैम्पा को हस्तांतरित धनराशि

क. 2019–20 से 31.03.2022 तक राष्ट्रीय कैम्पा से राज्य कैम्पा में 51,324.67 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।

ख. 31.03.2018 की अवधि तक तदर्थ कैम्पा से प्राप्त धनराशि 54,685.00 करोड़ रुपये और 01.04.2018 से 31.03.2022 तक प्राप्त धनराशि 17,487.50 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, कुल प्राप्तियां 72,172.50 करोड़ रुपये हुईं, जिन्हें सार्वजनिक खाते में जमा किया गया। 2018–19 से 2021–22 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरित कुल धनराशि 54,848.32 करोड़ रुपये थी.

7.2 एपीओ स्थिति, राज्य कैम्पा फंड से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जारी और उपयोग किया गया फंड

एपीओ का कुल परिव्यय 9633.92 करोड़ रुपये है, जिसमें से 9,128.22 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए थे। शुद्ध प्रतिशत फंड रिलीज 63.32% है। **(करोड़ रुपये में)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय	एपीओ स्वीकृत	राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फंड	उपलब्धि (निधि का उपयोग)
1	आंध्र प्रदेश	377.56	325	125.49	121.10
2	अरुणाचल प्रदेश	246.05	240.85	239.16	222.91
3	असम	97.68	95.01	79.12	46.47
4	बिहार	108.34	106.84	0.28	0.13
5	चंडीगढ़	3.86	3.6	2.06	2.06
6	छत्तीसगढ	1558.39	1500.75	700	855.55*
7	दिल्ली	17.18	16.15	9.78	4.15
8	गोवा	32.70	21.17	32.70	17.75
9	गुजरात	200	200	169.00	168.79
10	हरियाणा	319.66	317.51	135.09	213.50*
11	हिमाचल प्रदेश	138.10	138.10	138.10	94.77
12	जम्मू एवं कश्मीर	275.27	257.16	266.25	127.53

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय	एपीओ स्वीकृत	राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फंड	उपलब्धि (निधि का उपयोग)
13	झारखंड	469.56	437.60	280.922	240.99
14	कर्नाटक	321.09	321.06	301.59	299.99
15	केरल	27.19	25.13	16.08	16.03
16	मध्य प्रदेश	776.97	713.46	616.88	561.18
17	महाराष्ट्र	688.27	688.27	487.50	422.43
18	मणिपुर	25.09	25.09	25.09	25.09
19	मेघालय	38.90	36.40	36.40	34.68
20	मिजोरम	20.42	18.08	17.65	17.19
21	ओडिशा	903.03	901.03	900.37	841.67
22	पंजाब	222.15	218.06	175.16	167.82
23	राजस्थान	287.58	286.70	203.18	182.36
24	सिक्किम	73.15	71.32	70.00	70.00
25	तेलंगाना	753.20	752.71	312.65	488.98*
26	त्रिपुरा	42.22	39.09	29.87	24.35
27	उत्तर प्रदेश	600	586.90	381.13	362.06
28	उत्तराखंड	950.81	726.88	440.00	375.43
29	पश्चिम बंगाल	59.50	58.30	23.94	12.92
	कुल	9,633.92	9,128.22	6,215.44	6,018.09

** उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष की अग्रेशित शेष निधि शामिल हैध्नोट–विवरण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है*

7.3 1980 से 2022 तक कैम्पा फंड के तहत प्रतिकरात्मक वनीकरण (सीए) और दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण (पीसी) और अन्य कार्यों की स्थिति

राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने प्रति सी, को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और अगले दो वर्षों में 31–3–2022 तक सभी लंबित सी, को पूरा करने के लि, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों कैम्पा के साथ प्रयास कर रहा है। कुल 11.38 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 10.29 लाख हेक्टेयर (90.43%) प्रतिकरात्मक वनरोपण (सी) का काम पूरा हो चुका है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए का लक्ष्य	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए की उपलब्धि		सीए/पीसीए का कुल शेष
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	%	हेक्टेयर
1	अंडमान एवं निकोबार	2,561.50	360.414	14.07	2201.09
2	आंध्र प्रदेश	40,111.00	36,548.00	91.12	3,563.00
3	अरुणाचल प्रदेश	41366.07	39592.9	95.71	1773.17
4	असम	9,391.70	8,289.45	88.26	1,102.25
5	बिहार	5,202.55	4,403.00	84.63	799.55
6	चंडीगढ़	110.8	109.88	99.17	0.92
7	छत्तीसगढ	79324.38	74304.031	93.67	5020.35
8	दिल्ली	165.4	165.4	100	शून्य
9	गोवा	3,541.00	2,143.61	60.54	1397.39
10	गुजरात	92,216.38	86,269.00	93.55	5,947.38
11	हरियाणा	13,625.00	9,718.00	71.32	3,907.00
12	हिमाचल प्रदेश	27,926.37	26,080.80	93.39	1,845.57
13	जम्मू एवं कश्मीर	30,172.00	26,822.00	88.9	3,350.00
14	झारखंड	55,656.60	36,767.79	66.06	18,888.81
15	कर्नाटक	27,169.00	26,334.00	96.93	835
16	केरल	59,486.25	58,652.53	98.5	833.72
17	मध्य प्रदेश	243,776.00	234,552.00	96.22	9,224.00
18	महाराष्ट्र	107,833.00	100,958.00	93.62	6,875.00
19	मणिपुर	7039.08	6,710.14	95.33	328.94
20	मेघालय	1,334.74	922.56	69.11	412.18
21	मिजोरम	11508.25	11029.252	95.84	479.00
22	ओडिशा	78,120.00	67,645.00	86.59	10,475.00
23	पंजाब	18,717.96	17,015.92	90.91	1,702.04
24	राजस्थान	43956.08	37,862.20	86.06	6,093.88
25	सिक्किम	5,536.72	5,192.08	93.78	344.64

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए का लक्ष्य	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए की उपलब्धि		सीए/पीसीए का कुल शेष
26	तमिलनाडु	3,797.42	3,306.60	87.07	490.82
27	तेलंगाना	33,168.53	25,739.56	77.6	7,428.97
28	त्रिपुरा	7703.53	6458.45	83.84	1245.08
29	उत्तर प्रदेश	27,412.37	23,223.37	84.72	4,189.00
30	उत्तराखंड	56,824.23	49183.34	86.56	7,640.89
31	पश्चिम बंगाल	3555.97	2980.12	83.81	575.85
	कुल	**1,138,309.88**	**1,029,339.40**	**90.43**	**108,970.49**

नोट–विवरण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है

7.4 1980 से 2022 तक कैम्पा फंड के तहत किए गए सीए और अन्य कैम्पा कार्यों की अद्यतन प्रगति

विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण और दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने एपीओ के अनुदान के दौरान अगले दो वर्षों में 14.61% का शेष प्रतिकरात्मक वनरोपण पूरा करने पर जोर दिया गया है।

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में और राशि रू. करोड़ में.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के डायवर्जन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत साइट विशिष्ट योजना के अनुसार वनरोपण आवश्यक है।			राज्य में स्थल विशिष्ट योजनाओं के अनुसार वनरोपण किया गया			शत–प्र. तिशत वनरोपण किया गया	कुल शेष	शेष प्रतिशत
		(सीए)	(पीसीए)	(सीए पीसीए)	(सीए)	(पीसीए)	(सीएप. ीसीए)	(सीएप. ीसीए)	(सीएप. ीसीए)	(सीएप. ीसीए)
1.	अंडमान एवं निकोबार	2,557.25	4.25	2,561.50	360.414	शून्य	360.414	14.07	2,201.09	85.93
2.	आंध्र प्रदेश	39,083.00	1,028.00	40,111.00	35,595.00	953	36548	91.12	3,563.00	8.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	39124.53	2241.54	41366.07	37895.86	1697.04	39592.9	95.71	1773.17	4.29
4.	असम	9,389.20	2.5	9,391.70	8,286.95	2.5	8289.45	88.26	1,102.25	11.74
5.	बिहार	4,816.20	386.35	5,202.55	4,017.51	385.49	4403	84.63	799.55	15.37
6.	चंडीगढ़	110.8	शून्य	110.8	109.88	शून्य	109.88	99.17	0.92	0.83
7.	छत्तीसगढ	74148.78	5175.6	79324.38	69546.881	4757.15	74304.031	93.67	5020.349	6.33
8.	दिल्ली	157	8.4	165.4	157	8.4	165.4	100.00	शून्य	शून्य
9.	गोवा	2,426.00	1,115.00	3,541.00	2,110.61	33	2143.61	60.54	1,397.39	39.46
10.	गुजरात	92,216.38	शून्य	92,216.38	86,269.00	शून्य	86269	93.55	5,947.38	6.45
11.	हरियाणा	13,625.00	शून्य	13,625.00	9,718.00	शून्य	9718	71.32	3,907.00	28.68
12.	हिमाचल प्रदेश	27,926.37	शून्य	27,926.37	26,080.80	शून्य	26080.8	93.39	1,845.57	6.61

13.	जम्मू एवं कश्मीर	30,172.00	शून्य	30,172.00	26,822.00	शून्य	26822	88.90	3,350.00	11.10
14.	झारखंड	48,674.51	6,982.09	55,656.60	30,146.60	6,621.19	36767.79	66.06	18,888.81	33.94
15.	कर्नाटक	24,870.00	2,299.00	27,169.00	24,129.00	2,205.00	26334	96.93	835	3.07
16.	केरल	59,486.25	शून्य	59,486.25	58,652.53	शून्य	58652.53	98.60	833.72	1.40
17.	मध्य प्रदेश	2,43,776.00	शून्य	243,776.00	234,552.00	शून्य	234552	96.22	9,224.00	3.78
18.	महाराष्ट्र	104,174.00	3,659.00	107,833.00	97,711.00	3,247.00	100958	93.62	6,875.00	6.38
19.	मणिपुर	6,299.59	739.49	7,039.08	6,190.00	520.14	6710.14	95.33	328.94	4.67
20.	मेघालय	1,100.13	234.61	1,334.74	907.85	14.71	922.56	69.12	412.18	30.88
21.	मिजोरम	11508.25	शून्य	11508.25	11029.252	शून्य	11029.252	95.84	479	4.16
22.	ओडिशा	73,373.00	4,747.00	78,120.00	63,048.00	4,597.00	67645	86.59	10,475.00	13.41
23.	पंजाब	18,533.05	184.91	18,717.96	16,852.63	163.29	17015.92	90.91	1,702.04	9.09
24.	राजस्थान	38283.66	5672.42	43,956.08	33,921.54	3,940.66	37862.2	86.14	6,093.88	13.86
25.	सिक्किम	5,486.72	50	5,536.72	5,142.08	50	5192.08	93.78	344.64	6.22
26.	तमिलनाडु	3,797.42	शून्य	3,797.42	3,306.60	शून्य	3306.6	87.07	490.82	12.93
27.	तेलंगाना	32,811.77	356.76	33,168.53	25,389.56	349.996	25739.556	77.60	7,428.97	22.40
28.	त्रिपुरा	6428.24	1275.29	7,703.53	5,498.75	959.7	6458.45	83.84	1,245.08	16.16
29.	उत्तर प्रदेश	27,412.37	शून्य	27,412.37	23,223.37	शून्य	23223.37	84.72	4,189.00	15.28
30.	उत्तराखंड	55,644.91	1,179.32	56,824.23	48225.33	958.01	49183.34	86.55	7640.89	13.45
31.	पश्चिम बंगाल	3555.97	शून्य	3555.97	2980.12	शून्य	2980.12	83.81	575.85	16.19
	कुल	857,192.35	37,341.53	1,138,309.88	997876.12	31463.276	1029339.4	90.43	108,970.49	14.61

नोट–विवरण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है

7.5 प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत किए गए राज्य–वार वृक्षारोपण और 2010–11 से 2021–22 के दौरान राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कैम्पा द्वारा कैम्पा का उपयोग करके उपयोग की गई धनराशि

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने सीए, एनपीवी और ब्याज घटक के तहत क्रमषः 6029.20 करोड़ रु रुपये, 5468.21 करोड़ रु रुपये और 11.19 करोड़ रु का व्यय किया। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं– **(क्षेत्रफल हेक्टेयर में और राशि करोड़ में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य									उपलब्धि								
		प्रतिकरात्मक वनरोपण			एनपीवी के तहत वनीकरण			घटक के अंतर्गत वनी. करण			प्रतिकरात्मक वनरोपण			एनपीवी के तहत वनीकरण			घटक के अंतर्गत वनीकरण		
		क्षेत्र	पौधे	मात्रा	क्षेत्र	पौधे	मात्रा	क्षेत्र	पौधे	मात्रा	क्षेत्र	पौधे	मात्रा	क्षेत्र	पौधे	मात्रा	क्षेत्र	पौधे	मात्रा
1	अंडमान एंड निकोबार	124.64	1.74	4.69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	91.08	2.22	1.14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	15826	174	206	54383	466	678	शून्य	शून्य	शून्य	12263	135	94	54383	466	401	शून्य	शून्य	शून्य
3	अरुणाचल प्रदेश	45780	471	154	32017	1139	121	1217	9	5	14467	140	21	16694	166	48	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	5804	145	44	10272	182	123	शून्य	शून्य	शून्य	5169	127	34	7046	106	64	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	4980	108	105	13777	199	267	शून्य	7	17	4488	94	79	12223	190	189	शून्य	2	शून्य
6	चंडीगढ़	93.54	1.00	14.78	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	93.54	1.00	10.85	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	37424	388	3252	30736	257	770	614	7	6.19	33077	330	2861	29246	255	700	514	5	5.19
8	दिल्ली	203	2	10	100	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	199	2	3	100	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
9	गोवा	711	8	9	374	4	3	शून्य	शून्य	शून्य	711	7	7	320	3	2	शून्य	शून्य	शून्य
10	गुजरात	22936	255	361	5163	57	333	शून्य	शून्य	शून्य	22936	255	289	4713	52	325	शून्य	शून्य	शून्य
11	हरियाणा	11501	107	331	22710	92	254	शून्य	शून्य	शून्य	8890	88	209	21036	94	207	शून्य	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	29083	274	112	6892	39	39	शून्य	शून्य	शून्य	27219	252	98	6884	36	36	शून्य	शून्य	शून्य
13	जम्मू एवं कश्मीर	28773	198	310	49030	332	878	शून्य	शून्य	शून्य	26822	187	241	47171	309	636	शून्य	शून्य	शून्य
14	झारखंड	38329	554	87	95520	670	135	शून्य	शून्य	शून्य	37786	528	77	90122	658	129	शून्य	शून्य	शून्य

15	कर्नाटक	10619	149	63	63624	373	280	शून्य	शून्य	शून्य	10619	149	61	63874	374	265	शून्य	शून्य	शून्य
16	केरल	632.2	9.4	3.1	1235	9.9	9.1	शून्य	शून्य	शून्य	408.40	6.3	2	948	7.5	5.00	शून्य	शून्य	शून्य
17	मध्य प्रदेश	38727	551	398	76709	585	178	शून्य	शून्य	शून्य	35828	504	382	74216	560	163	शून्य	शून्य	शून्य
18	महाराष्ट्र	19579	248	66	28702	224	76	580	6	10	17677	216	60	24715	209	96	529	5	6
19	मणिपुर	6105	97.90	13.7	14701	181.30	26.50	शून्य	शून्य	शून्य	6105	97.90	13.7	14701	181.30	26.50	शून्य	शून्य	शून्य
20	मेघालय	802.6	9.4	5.5	1738	19.9	8.6	शून्य	शून्य	शून्य	464.6	5.7	3.4	1335	14.1	4.3	शून्य	शून्य	शून्य
21	मिजोरम	5162	56.8	56.6	1467	3.2	6.2	शून्य	शून्य	शून्य	5162	56.8	30.5	1467	3.2	4.9	शून्य	शून्य	शून्य
22	ओडिशा	67758	307	323	469135	1029	846	शून्य	शून्य	शून्य	52599	198	230	362344	921	757	शून्य	शून्य	शून्य
23	पंजाब	12410	123	82.79	33528	280	156	शून्य	शून्य	शून्य	11456	113	69	31818	265	138.94	शून्य	शून्य	शून्य
24	राजस्थान	30040	258	294	69345	139	364	शून्य	शून्य	शून्य	28058	177	222	66441	132	283	शून्य	शून्य	शून्य
25	सिक्किम	2564	39	26	3988	18	8	216	2	शून्य	2564	39	26	3928	18	8	216	2	शून्य
26	तमिलनाडु	1260	5.6	5.2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1234	5.5	5.0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	तेलंगाना	25069	215	238	71237	533	483	शून्य	शून्य	शून्य	20636	163	192	51222	593	349	शून्य	शून्य	शून्य
28	त्रिपुरा	4175	46.0	29.0	1744	20	11	शून्य	शून्य	शून्य	3720	42	19	1571	17	7	शून्य	शून्य	शून्य
29	उत्तर प्रदेश	18944	218	383	63453	815	556	शून्य	शून्य	शून्य	18944	218	383	63453	815	556	शून्य	शून्य	शून्य
30	उत्तराखंड	30638	434	402	13311	66	122	शून्य	शून्य	शून्य	27282	393	298	10211	52	63	शून्य	शून्य	शून्य
31	पश्चिम बंगाल	2390	23.9	14.5	649.0	6.5	4.09	शून्य	शून्य	शून्य	1216.10	25.46	7.61	639.0	10.8	3.49	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**51,8442.98**	**5477.74**	**7403.86**	**1235540**	**7740.8**	**6736.49**	**2627**	**31**	**38.19**	**4,38184.72**	**4557.88**	**6029.20**	**1,062821**	**6508.9**	**5468.21**	**1259**	**14**	**11.19**

नोट–विवरण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है

7.6 वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2021–22 के दौरान कैम्पा फंड का उपयोग करते हुए सीए, एनपीवी और ब्याज घटक के तहत किए गए वृक्षारोपण की स्थिति

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण, एनपीवी के तहत वनीकरण और ब्याज घटक के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण से स्वीकृत राशि का 80: प्राप्त करने में सक्षम हैं।

क्रम सं	वृक्षारोपण /घटक	लक्ष्य			उपलब्धि			उपलब्धि :		
		क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पौधों की संख्या लाख में	राशि करोड़ में	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पौधों की संख्या लाख में	राशि (करोड़ में)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पौधों की संख्या लाख में	राशि करोड़ में
1	प्रतिकरात्मक वनरोपण	5,18,440.98	5,477.74	7,400.86	4,38,219.62	4,558.52	6,007.89	85	83.22	81.18
2	एनपीवी के तहत वनीकरण	12,51,540.00	7,740.80	6,885.00	10,62,604.00	6,508.90	5,467.82	85	84.09	79.42
3	श्रुचिश घटक के अंतर्गत वनीकरण	2,627.00	31	38.19	1,259.00	14	11.19	48	45.16	29.30
	कुल	**17,72,607.98**	**13,249.54**	**14,324.05**	**15,02,082.62**	**11,081.42**	**11,486.90**	**85**	**83.64**	**80.19**

नोट–विवरण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है

7.7 प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत वृक्षारोपण (एनपीवी और ब्याज घटक को छोड़कर)

केवल एनपीवी और ब्याज घटक को छोड़कर, विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिकरात्मक वनीकरण के तहत कुल वृक्षारोपण का अस्तित्व लगभग 80.42% है।

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोपे गए पौधों की संख्या	जीवित बचे पौधों की संख्या	उत्तरजीविता%
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	610	515	84
2	आंध्र प्रदेश	1996641	1717111	86
3	अरुणाचल प्रदेश	986700	592020	60
4	असम	935280	561168	60
5	बिहार	2131996	1982770	93
6	चंडीगढ़	8820	7990	91
7	छत्तीसगढ	4543403	3679221	81
8	गोवा	25145	21373	85
9	गुजरात	828806	596740	72
10	हरियाणा	1122126	850922	76
11	हिमाचल प्रदेश	1048212	639409	61
12	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	612000	312120	51
13	झारखंड	3098707	2949969	95
14	कर्नाटक	349856	192421	55
15	केरल	145320	116256	80
16	मध्य प्रदेश	4896573	4068367	83
17	महाराष्ट्र	1780614	1294862	73
18	मणिपुर	358240	250768	70
19	मिजोरम	386895	एम एंड ई प्रक्रियाधीन	शून्य
20	पंजाब	587455	534584	91
21	राजस्थान त्रेंजींद	737077	661266	89.71
22	सिक्किम	139200	97536	70
23	तमिलनाडु	25820	23856	92
24	तेलंगाना	2112380	1789904	85
25	त्रिपुरा	139519	86878	62
26	उत्तर प्रदेश	1500158	1290136	86
27	उत्तराखंड	3137255	2732549	87.10
28	पश्चिम बंगाल	503217	404552	80
	कुल	**341,38,025**	**2,74,55,263**	**80.42**

नोट–विवरण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है

7.8 वन पुनर्जनन और संरक्षण के साथ–साथ हरित रोजगार सृजन (दैनिक मजदूरी उत्पन्न)

हरित रोजगार सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने की कुंजी है जिसे वनीकरण, वन पुनर्जनन और संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। राज्यों ने वृक्षारोपण, नर्सरी तैयार करने और वन पुनर्जनन गतिविधियों के माध्यम से हरित रोजगार सृजित किया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 302275.80 हेक्टेयर के लक्ष्य वृक्षारोपण के मुकाबले 266947.33 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य हासिल किया, जिससे 105250557.10 व्यक्ति दिवस का रोजगार पैदा हुआ, कुल व्यय 3998.81 करोड़ रुपये और उन्हें मजदूरी के रूप में 1886.85 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृक्षारोपण का भौतिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ	कैम्पा के अंतर्गत कुल व्यय	कैम्पा के अंतर्गत मजदूरी पर व्यय	रोजगार उत्पन्न हुआ
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	व्यक्तिगत दिनों में
1	आंध्र प्रदेश	9569.2	5711.03	121.101	84.77	21192600
2	अरुणाचल प्रदेश	सीए (i) अग्रिम कार्य –4793.16 हे. (ii) सृजन – 12193.93 हे. (iii) रखरखाव। वृक्षारोपण – 13009.86 हे. कैट योजना घटक (i) रखरखाव। वनीकरण वृक्षारोपण – 1965.10 हे. (ii) वनीकरण वृक्षारोपण का निर्माण – 7000 हेक्टेयर। एनपीवी घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) –1658.805 हेक्टेयर। (ii) रखरखाव। एएनआर वृक्षारोपण – 1223 हेक्टेयर। (iii) कृत्रिम वृक्षारोपण – 5191.90 हेक्टेयर। (iv) रखरखाव। कृत्रिम वृक्षारोपण 1310.50 हे. (v) एएनआर वृक्षारोपण द्वारा आवास सुधार (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) – 51712 हेक्टेयर। (vi) रखरखाव। पर्यावास सुधार – 334 हेक्टेयर।	सीए (i) अग्रिम कार्य–4793.16 हे. (ii) सृजन –12193.93 हे. (iii) रखरखाव। वृक्षारोपण – 13009.86 हे. कैट योजना घटक (i) रखरखाव। वनीकरण वृक्षारोपण– 1965.10 हे. (ii) वनीकरण वृक्षारोपण का निर्माण– 7000 हेक्टेयर। एनपीवी घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण I)–1658.805 हेक्टेयर। (ii) रखरखाव। एएनआर वृक्षारोपण – 1223 हेक्टेयर। (iii) कृत्रिम वृक्षारोपण – 5191.90 हेक्टेयर। (iv) रखरखाव। कृत्रिम वृक्षारोपण 1310.50 हे. (v) एएनआर वृक्षारोपण द्वारा आवास सुधार (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) – 51712 हेक्टेयर। (vi) रखरखाव। पर्यावास सुधार – 334 हेक्टेयर।	128.18	5.80	7300187

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृक्षारोपण का भौ. तिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ	कैम्पा के अंतर्गत कुल व्यय	कैम्पा के अंतर्गत मजदूरी पर व्यय	रोजगार उत्पन्न हुआ
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	व्यक्तिगत दिनों में
3	असम	1800.45	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	रखरखाव कार्य – 10150.54 हेक्टेयर और 2243.70 किमी नया कार्य – 384.00 हेक्टेयर और 554.50 किमी	रखरखाव कार्य – 10149.14 हेक्टेयर और 2231.70 किमी नया कार्य – 0.00 हेक्टेयर और 168. 50 किमी	शून्य	शून्य	1236157
5	चंडीगढ़	0.79	0.79	2.09	1.78	41185
6	छत्तीसगढ	41490.00	29774.15	16.09	7.38	238904
7	गोवा	934. हेक्टेयर एवं 10 कि.मी	936.5 हेक्टेयर एवं 8 कि.मी	3.55	0.5	89856.5
8	गुजरात	3646.72	3733.55	168.79	शून्य	2482206
9	हिमाचल प्रदेश	2337.39	2296	153.11	0.95	6717.12
10	जम्मू एवं कश्मीर	13926	9495.28	119.37	53.72	2387400
11	झारखंड	अग्रिम कार्य– ब्लॉक प्लांट। 10827. 905 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 14126. 75 हेक्टेयर, 166.467 किलोमीटर, 28080 गेबियन समापन कार्य– ब्लॉक प्लांट। 3713. 516 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 13290 हेक्टेयर, 97.688 किमी 720 गेबियन रखरखाव कार्य– ब्लॉक प्लांट। 19397.183 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 18393. 25 हेक्टेयर, 322. 017 किमी, 238484 गेबियन	अग्रिम कार्य– ब्लॉक प्लांट। 6642.613 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 11355 हेक्टेयर, 72.048 किलोमीटर 18080 गेबियन समापन कार्य– ब्लॉक प्लांट। 3324.858 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 9082 हेक्टेयर, 88.572 किमी 720 गेबियन रखरखाव कार्य– ब्लॉक प्लांट। 19397. 183 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 18380.53 हेक्टेयर, 322.017 किमी, 38054 गेबियन	157.26	94.35	30,30,646

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृक्षारोपण का भौ. तिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ	कैम्पा के अंतर्गत कुल व्यय	कैम्पा के अंतर्गत मजदूरी पर व्यय	रोजगार उत्पन्न हुआ
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	व्यक्तिगत दिनों में
12	कर्नाटक	61328.72	58841.04	29.99	270.00	8111375
13	केरल	928.3	625.4	16.03	4.83	66536
14	मध्य प्रदेश	36139	36139	561.00	3.36	11936269
15	महाराष्ट्र	37022.63	29243	133.76	73.57	1772671
16	मणिपुर	2155	2155	25.09	3.66	162675
17	मेघालय	328.612	328.612	36.40	0.14	11001.498
18	ओडिशा	44391.12	43955.51	841.67	344.19	11175144.00
19	पंजाब	5769.00	5722.00	67.82	112.87	3066992
20	राजस्थान	21857.52	18323.52	86.84	72.08	3203516.00
21	सिक्किम	183.98	183.98	38.21	11.51	383542
22	तेलंगाना	10308.101	12651.16	488.98	3.60	14680208
23	त्रिपुरा	721.86	721.86	24.23	7.22	76444
24	उत्तर प्रदेश	वृक्षारोपण – 28779.03 हेक्टेयर हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 80349 संख्या एएसडब्ल्यू – 39769.35 हेक्टेयर हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 51480 संख्या रखरखाव। – 39901.59 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 867057 संख्या।	वृक्षारोपण – 28779.03 हेक्टेयर हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 80349 संख्या एएसडब्ल्यू – 39771.35 हेक्टेयर हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 51070 संख्या रखरखाव – 39854.02 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 858721 संख्या।	300.71	170.20	8467506
25	उत्तराखंड	7359.5	6548.64	375.75	225.45	7097080.00
26	पश्चिम बंगाल	1011.9	497.81	2.79	1.67	64385
	कुल	3,02,275.8	26,6947.33	3,998.81	1,886.85	105250557.10

नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.9 वनों और संरक्षित क्षेत्रों में किए गए मृदा नमी संरक्षण कार्य

प्राकृतिक संसाधनों और जलसंभरों की रक्षा करने, पौधों और वन्यजीवों के लिए आवास, पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने और मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए मिट्टी और जल संरक्षण आवश्यक है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य किए जाते हैं, जिनका 2021–22 में वार्षिक व्यय 44,215 लाख है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाबध्जल निकाय	बांध	अन्य जल संचयन सं. रचना	मृदा एवं नमी सं. रक्षण पर व्यय
		(संख्या में)	(संख्या में)	(संख्या में)	(लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	4746	146	सीसीटीध्एससीटी – 645096 (सह में) आरएफडी – 364 पीपीटी – 12.14 (किमी में)	1210.87
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	2934	गेबियन संरचना– 5432	699.08
3	असम	शून्य	13	3	139.73
4	छत्तीसगढ	4409	472	7315451	12048.22
5	गोवा	38	14	1	75.96
6	हिमाचल प्रदेश	81	32089	शून्य	2225.56
7	जम्मू एवं कश्मीर	383	2701	2685	807
8	झारखंड	शून्य	411	94	2957.259
9	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	केरल	35	शून्य	शून्य	13
11	महाराष्ट्र	232	7	1760	2955.78
12	मणिपुर	27	शून्य	शून्य	77.4
13	मेघालय	शून्य	2	स्प्रिंग चम्बेर–4 नं	35.97
14	ओडिशा	49	77149	582382	2534.29
15	पंजाब	6	18213	3793	1355.10
16	राजस्थान	शून्य	शून्य	101 एनीकट; 65 एमपीटी	454.03 42.26
17	सिक्किम	12.25	7.35	29.40	216.90
18	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	तेलंगाना	42 खेत तालाब, 8328 चट्टानी बांध	643 चेक डैम	2420 नंबर परकोलेशन टैंक और 69 नंबर मिनी परकोलेशन टैंक	6747.223
20	त्रिपुरा	शून्य	22	शून्य	70.01

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाबध्जल निकाय	बांध	अन्य जल संचयन सं. रचना	मृदा एवं नमी सं. रक्षण पर व्यय
21	उत्तर प्रदेश	360422.00 घन. मीटर.	5	का निर्माण– बंधी–1919471.00 घन. ड्राई चेकडैम – 32046 क्यूबिक मीटर, कंटूर बंडध्ट्रेंच – 38117 क्यूबिक मीटर। 3092.85 हे. यमुना में एस.एम.सी	3728.38
22	उत्तराखंड	3700	14041.00	कंटूर ट्रेंच 1525800	5810.42
23	पश्चिम बंगाल	शून्य	306 एम3	4	10.56
	कुल	**13,718.25**	**1,17,737.4**	**94,32,002.4**	**44,215**

नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कैम्पा फंड का उपयोग करके वन्यजीव आवास में सुधार

वन्यजीव प्रजातियों को जनसंख्या संख्या बनाए रखने या बढ़ाने में मदद के लिए उपयुक्त आवास की आवश्यकता होती है। आवश्यक आवास घटकों में भोजन, आवरण, स्थान और पानी शामिल हैं। आवास प्रबंधन का उद्देश्य मौजूदा वन्य जीवन में सुधार करना है।

सीएएफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्राधिकरण ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी) की अनिवार्य गतिविधि को मंजूरी दे दी है, जिसका भौतिक लक्ष्य 35.9 हेक्टेयर है। रुपये की राशि के साथ. रू 704.04 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसके बाद वन्यजीव पर्यावास के सुधार की गतिविधि का कुल भौतिक लक्ष्य 25117.65 हे. और वित्तीय लक्ष्य 2021–22 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 402.27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

अनिवार्य कार्य				एन पी वी	
				वन्य जीवन आवास में सुधार	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)		भौतिक लक्ष्य हा.	वित्तीय लक्ष्य करोड़
		भौतिक लक्ष्य हेक्टेयर	वित्तीय लक्ष्य करोड़		
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	34.24
2	आंध्र प्रदेश	शून्य	0.64	51712 हे	3.36
3	अरुणाचल प्रदेश	रास	2.21	शून्य	शून्य
4	छत्तीसगढ	489 कार्य	47.3603	15186.32	51.21
5	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	7.36
6	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनिवार्य कार्य				एन पी वी	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडब्ल्यूएमपी)		वन्य जीवन आवास में सुधार	
				भौतिक लक्ष्य हा.	वित्तीय लक्ष्य करोड़
7	हिमाचल प्रदेश	शून्य	16.80	12	11.50
8	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	60.8411
9	झारखंड	शून्य	51.90985		50.74
10	केरल	366 हेक्टेयर, 3400 एमएम और 40 नंबर	0.8514	8997	18.05
11	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	42.2
12	महाराष्ट्र	शून्य	1	शून्य	शून्य
13	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	9.09
14	मिजोरम	शून्य	शून्य	डब्ल्यूएचएस, जल निकाय आदि।	20.67
15	ओडिशा	शून्य	32.81	186	0.80
16	पंजाब	शून्य	शून्य	0	1.11
17	राजस्थान	0	8.66	शून्य	8.32
18	सिक्किम	35.90	535.85	शून्य	शून्य
19	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	1052 नंबर रू तश्तरी गड्ढे, 79 नंबररू बोरवेल की ड्रिलिंग, 415 नंबर चेलमाध्वाटर होल का निर्माण, 46 नंबर पीटीएस के साथ सौर पंपों का निर्माण, 2173.80 हेक्टेयर खरपतवार हटाना और बीज का प्रसारण, 900 हेक्टेयर फलदार वृक्षारोपण, 1123 किमी नालों के किनारे बांस रोपण, 1456 हेक्टेयर घास भूमि प्रबंधन।	21.93195
20	तेलंगाना	शून्य	5.95162	रास	4.59
21	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	रास	7.88
22	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	13,391 हेक्टेयर में लैंटानाध्आक्रामक प्रजातियों को हटाना	24.19
23	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	लैंटाना और अन्य आक्रामक प्रजातियों को हटाना– 13,990.74 हेक्टेयर। एवं 2921 हेक्टेयर का रखरखाव।	24.19
	कुल	**35.9**	**704.04**	**25,117.65**	**402.27**

नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.11 वन संरक्षण और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए निर्मित बुनियादी ढाँचा/सुविधाएँ

वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए मैदानी स्तर पर भवन निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे वन क्षेत्र के कर्मचारियों को वन क्षेत्रों में रहने में मदद मिल रही है और वन सुरक्षा के लिए यह आवश्यक साबित हो रहा है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 820 क्वार्टर, 96 कार्यालय, 45 चेक पोस्ट का निर्माण किया। वन सुरक्षा और फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए 12,438.83 लाख रूपये खर्च किए।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्वार्टर	कार्यालय	चेक पोस्ट	कुल व्यय
		(संख्या में)	(संख्या में)	(संख्या में)	(लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	151.87
2	अरुणाचल प्रदेश	37	20	8	733.64
3	असम	10	शून्य	1	201.38
4	छत्तीसगढ	68	9	शून्य	2.38
5	गोवा	10	शून्य	शून्य	30
6	हिमाचल प्रदेश	29	12	1	357.13
7	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	4	शून्य	82.44
8	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	1515.53
9	केरल	शून्य	1 (एसएफटीआई, आईएचआरडी)	शून्य	60.59
10	महाराष्ट्र	148	18	शून्य	4024.09
11	मणिपुर	5	शून्य	शून्य	150
12	मेघालय	37	5	शून्य	523.96
13	ओडिशा	290	15	शून्य	611.48
14	राजस्थान	वन चौकियाँ 24 कार्यालय सह निवासी 8	छप्र	शून्य	208.35
15	सिक्किम	6 (क्वार्टर मरम्मत)	1 कार्यालय	8	511.20
16	तेलंगाना	85 संख्या (एफओआरओः 25+1 (स्पिल), एफएसओः 26, एफबीओः 32+1(स्पिल))	शून्य	शून्य	1536.59
17	त्रिपुरा	3		1	120.26
18	उत्तराखंड	7	13	27.00	1617.94
	कुल	**846**	**96**	**45**	**12,438.83**

नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.12 नवोन्वेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग

राष्ट्रीय कैम्पा ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग और राज्य कैम्पा निधियों का उपयोग करके आईटी का उपयोग, मानव–पशु संघर्ष से निपटने, एमआईएस/डैशबोर्ड निर्माण, ड्रोन का उपयोग, डिजिटल निगरानी और संचार जैसी अच्छी प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया है। सामाजिक लेखापरीक्षा और पारदर्षिता, दक्षता में सुधार, वन सीमाओं का डिजिटलीकरण, डिजिटल वन सूची, पर्यावरण–पर्यटन, आदि।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरण
1	आंध्र प्रदेश	जियोमैटिक्स गतिविधियां, बुनियादी ढांचे और संचार में सुधार, स्वतंत्र समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन
2	अरुणाचल प्रदेश	जीपीएस–47 नंबर , कंप्यूटर–8 नंबर , कैमरा–1 नंबर , एलईडी लाइट–2 नंबर , दूर. बीन–5 नंबर , वीआरएसईटी–5 नंबर , ड्रोन–2 नंबर , वॉकी टॉकी–69 नंबर , फाइबर बोट–1 नंबर की खरीदारी। प्रोजेक्टर–1 नंबर , सर्वेक्षण उपकरण–एलएस
3	असम	कैम्पा ट्रैकर सॉफ्टवेयर का विकास, स्मार्ट फोन और सोलर लाइट की खरीद, निगरानी
4	छत्तीसगढ	आईटी, निगरानी, कार्यालय स्वचालन, जन जागरूकता प्रशिक्षणध्कार्यशाला, नर्सरी, पशु बचाव केंद्र, मानव पशु संघर्ष
5	गोवा	सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीद, मानव–पशु संघर्ष, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल प्रशिक्षण और अद्यतनी. करण, जागरूकता सृजन और वन संरक्षण, ग्राम उपवन के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, पशु चिकित्सा अस्पताल और वन्यजीवन को मजबूत करने में स्थानीय लोगों और अन्य हितध ाारकों के समर्थन को बढ़ावा देना। बचाव दल, कार्य दुकानेंध्जागरूकता अभियान
6	हिमाचल प्रदेश	बंदरों को पकड़ना और उनकी नसबंदी करना, कैम्पा डेटा का डिजिटलीकरण
7	जम्मू एवं कश्मीर	जीपीएस की खरीद–483 नंबर, डिजिटल कैमरा–1 नंबर , कंप्यूटर–68 नंबर , ड्रोन–2 नंबर, सीसीटीवी–10 नंबर ,
8	झारखंड	ड्रैगन टॉर्च की खरीद, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल प्रशिक्षण और अद्यतनीकरण, जागरूकता सृजन और वन संरक्षण में युवाओं और छात्रों के समर्थन को बढ़ावा देना।
9	कर्नाटक	पश्चिमी घाट (आईएसईसी) के पर्यावरण–संवेदनशील परिदृश्य की वहन क्षमता का आकलन, अनुसंधान गतिविधि ध्‍ संचार और सूचना तकनीक के लिए उपकरणों की खरीद और रखरखाव।
10	महाराष्ट्र	चारा विकास कार्य (5754 हेक्टेयर प्रथम वर्ष संचालन और 1874 हेक्टेयर योजना पूर्व संचालन)
		संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का स्वैच्छिक स्थानांतरण
11	मणिपुर	निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरों का उपयोग
12	मेघालय	सीसीटीवी कैमरे और सोलर लाइटध्किट की स्थापना, कैमरा ट्रैपिंग, ड्रोन, डीजीपीएस का उपयोग, मानव–पशु संघर्ष की रोकथाम पर आईईसी और प्रचार सामग्री की तैयारी, गंभीर रूप से प्रभावित मानव–हाथी संघर्ष में जैव–बाड़ की स्थापना, एक विश्वसनीय निर्माण जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति, वितरण और बहुतायत पर डेटाबेस, जानवरों और पौधों और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तस्वीरें खींचने और प्रसारित करने के लिए कर्मचारियों को स्मार्ट फोन का प्रावधान, बाहरी और आंतरिक निगरानी और मूल्यांकन।
13	मिजोरम	कुछ संभागों में ड्रोन से निगरानी

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	विवरण
14	ओडिषा	ओडिषा 411061.00 हेक्टेयर से अधिक 803 वन खंडों में वन सीमा का डिजिटलीकरण, ओएफएमएस पोर्टल के माध्यम से वानिकी गतिविधियों की डिजिटल निगरानी – ड्रोन का उपयोग – वन्यजीव गतिविधियों की निगरानी के लिए 8 नंबर, ज्यादातर हाथियों के लिए
15	पंजाब	वृक्षारोपण की निगरानी – 38.10 लाख रुपये, उपकरण की खरीद, जीपीएस (212 नंबर), आईटी का सुदृढ़ीकरण 73.46 लाख रुपये, आईसीएआर द्वारा सर्वेक्षण 20.00 लाख रुपये
16	राजस्थान	1) क्षमता निर्माण 2) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 3) निगरानी और मूल्यांकन
17	सिक्किम	डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में सुधार
18	तेलंगाना	भू–स्थानिक डेटा का अद्यतनीकरण, एफएमआईएस, ई–ग्रीनवॉच, सीमाओं का सर्वेक्षण, जंगल की आग के डेटा का आकलन, डेटा का भेदभाव, रिपोर्ट जनरेटिव, एसएमएस अलर्ट, अग्नि जोखिम क्षेत्र मानचित्र, ई–ग्रीनवॉच (आईसीसीईएमएस) डेटा अपडेशन, अधिसूचित वन का सर्वेक्षण ब्लॉक, पुराने एफसीए क्षेत्रों का सर्वेक्षण (आउटसोर्सिंग) (भाग) (आउटसोर्सिंग) (भाग), एफएमआईएस और ई–ग्रीनवॉच के लिए आईटी बुनियादी ढांचे की खरीद।
19	त्रिपुरा	1. त्रिपुरा वन विभाग ने एफसीए परियोजनाओं (डायवर्सन परियोजना और इसकी विभिन्न स्थि. तियों) के प्रबंधन और कैंपा गतिविधियों (सीए वृक्षारोपण, गैर–सीए वृक्षारोपण और संपत्ति) की निगरानी के लिए इन–हाउस एफसीए और कैंपा एमआईएस और कैंपा ऐप विकसित किया है। इसका उपयोग वन विभाग में किया जायेगा. फील्ड से जानकारी प्राप्त करने के बाद एफएच. क्यू में अधिकारियों की टीम द्वारा एफएसआई के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में विभिन्न जानकारी अपलोड करने के लिए। FCA और कैम्पा MIS वेब एप्लिकेशन का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) https://fcamis.tripura.gov.in/ है। कैम्पा ऐप के लिए Google Play Store लिंक (https://play.google.com/store/apps/details\id¾com.dSEik.tripura) है। 2. ऑक्सीजन पार्क, बारामुरा पार्क, तेपनिया पार्क, शहीद धनंजय पार्क, मैत्री पार्क, संघति पार्क में बुनियादी ढांचे का रखरखाव 3. वन सीमाओं का डिजिटलीकरण
20	उत्तर प्रदेश	1. जंगली जानवरों के भटकने की घटनाओं में काफी कमी 2. सार्वजनिक या जंगली जानवरों के कारण होने वाली चोटों या मौतों की नंबर ण्य घटनाएं3. आईटी का उपयोग – वृक्षारोपण, नर्सरी, वन संरक्षण, लकड़ी आधारित उद्योगों से संबंधित गतिविधियों का उत्कृष्ट दस्तावेजीकरण और कार्यप्रणाली। 4. प्रमाणित लकड़ी का उत्पादन और राजस्व में वृद्धि। 5. वृक्षारोपण, नर्सरी एवं वन एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में जन आंदोलन 6. स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर सीए वृक्षारोपण और एनपीवी कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी और मूल्यांकन। 7. गुणवत्तापूर्ण वृक्षारोपण के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधों का उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, जो वृक्षारोपण के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधे जुटाने में मदद करेगा। 8. अनुसंधान प्रभागों द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के बारे में वनवासियों और किसानों में जागरूकता का स्तर बढ़ाया गया ताकि ये गतिविधियाँ प्रयोगषाला से जमीन तक फैल सकें। 9. वृक्षारोपण, नर्सरी और वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में जन आंदोलन।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरण
21	उत्तराखंड	1. एमआईएस एक वेब आधारित एप्लिकेषन है जिसका उपयोग क्षेत्र से भौतिक और वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। वर्तमान में चल रहे एमआईएस का अनुकूलन प्रक्रिया में है जहां संकेतक और डेटा के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के साथ एक डैषबोर्ड प्रस्तावित है। 2. मानव वन्यजीव संघर्श प्रबंधन के तहत 5622 प्रजातियों के बंदरों को पकड़ना, पुनर्वास और बंदरों की नसबंदी । 3. एपीओ, फंड रिलीज, मिनट्स, सर्कुलर इत्यादि के संबंध में जानकारी में पारदर्षिता के लिए, एक वेबसाइट डिजाइन की गई है जिसमें राज्य सीएएमपीए से संबंधित सभी जानकारी सार्वज. निक डोमेन पर है। 4. फेसबुक पेज के माध्यम से सोषल मीडिया में उपस्थिति 5. दक्षता निर्माण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, जन जागरूकता के लिए मुद्रण और प्रचार–प्रसार 6. वन्य जीव प्रबंधन हेतु कैमरा ट्रैपिंग का उपयोग
22	पश्चिम बंगाल	ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रशिक्षण, वर्ष 2020–21 की वन सीमाओं का डिजिटलीकरण, आईटी उपकरणों की खरीद, वर्ष 2019–20 के लिए कैम्पा गतिविधियों की तृतीय पक्ष निगरानी।

नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण